कोरोना काल और बाल संरक्षण

ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति की भूमिका से सम्बंधित प्रशिक्षण

विषय सूची

कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी और बच्चे 3

प्रशिक्षण पुस्तिका परिचय 6

प्रशिक्षण पुस्तिका- भाग एक 10

पहला सत्र :प्रशिक्षण का उद्देश्य और परिचय 11

दूसरा सत्र: ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य 14

तीसरा सत्र : कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक 21

चौथा सत्र: कोरोना काल में बच्चों से जुड़े कुछ ज्वलंत मुद्दे (बाल मजदूरी व बाल विवाह.. आदि) .. 25

पाँचवां सत्र: बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख व निगरानी 31

छठां सत्र: सर्किल (सबल बनाने वाला घेरा): इसका उद्देश्य और प्रक्रियाएं 37

सातवां सत्र: वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना 42

प्रशिक्षण पुस्तिका - भाग दो 46

पहला सत्र :प्रशिक्षण का उद्देश्य तथा परिचय 47

दूसरा सत्र: ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य तथा कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक 49

तीसरा सत्र:i-बच्चों से जुडे ज्वलंत मुद्दे व इनकी निगरानी, ii- सर्किल/घेरा 54

चौथा सत्र: वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना 63

अनुलग्नक: A- बाल संरक्षण से जुड़े प्रमुख क़ानून व योजनायें 66

अनुलग्नक: B- पी.एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 88

लहर.......... 92

कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी और बच्चे

साधारणतया सभी बच्चे, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा के शिकार हो सकते हैं। इस तरह की हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा घर या घरेलू वातावरण में भी संभव है हैं। वैसे तो सभी बच्चों को यौन हिंसा का खतरा होता हैं पर विशेष कर लड़कियों को यौन हिंसा या यौन दुर्व्यहार का खतरा ज्यादा होता है। बच्चों पर घर के बाहर भी ऐसे खतरे मड़ाराते रहतें है। यह वैसे बच्चों के लिए विशेष रूप से लागू होता है जो फुटपाथ पर या अकेले रह रहे हैं, या बाल गृहों में रह रहे हैं, या हिंसक या सशस्त्र समूहों से जुड़े हुए हैं, या संघर्ष की या नाजुक स्थितियों में रह रहे हैं ,या टूटते या टूटे हुए परिवारों में रह रहे हैं, या बाल श्रम में लगे हुए हैं, या फिर शरणार्थी या आंतरिक रूप से विस्थापित या प्रवासी हैं, या ऐसे परिवारों से जुड़े हैं ।

परन्तु जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी घोषित की और जानकारी दी कि ऐसा स्वास्थ्य संकट सदी में एक ही बार आता है मगर उसके प्रभाव आने वाले कई दशकों तक महसूस किये जाते हैं । इस घोषणा के बाद तो पूरे विश्व में जैसे अफरा तफरी का सा माहौल छा गया और लम्बे - लम्बे लॉक डाउन लगाये जाने लगे जिसके परिणाम स्वरुप दुनिया भर में यात्रा और काम पर नए प्रतिबंध लगे , रोजगार , स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का संकट खड़ा हो गया , व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर वित्तीय अस्थिरता के बादल छा गए ।

यूँ तो घर-परिवार बच्चे की सुरक्षा (सेफ्टी) और संरक्षा (प्रोटेक्शन) की पहली पंक्ति होती है ,परंतु वह भी कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी से जुड़े दुष्प्रभावों और तनावों के कारण खुद गहरे संकट में आ गया है । इस सबका सबसे बुरा असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ा , परिणामस्वरूप :

- रोजगार और आय के नुकसान के कारण गरीबी और खाद्य असुरक्षा में वृद्धि हुई ;
- व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में बच्चों की अक्षमता सामने आने लगी ;
- बच्चों की डिजिटल गतिविधि में वृद्धि और देखभाल करने वालों की निगरानी में कमी के कारण, बच्चों को अधिक डिजिटल जोखिमों का सामना करना पड़ा (ऑनलाइन गेम या क्रिकलापों में लगे रहने से);
- स्कूलों और देखभाल कार्यक्रमों द्वारा पहले से प्रदान किए जाने वाले पौष्टिक भोजन का अभाव हो गया ;
- बच्चों के लिए चलने वाले सामाजिक सहायता नेटवर्क व कार्यक्रमों में व्यवधान आया ;
- बच्चों के हेतु संचालित सामुदायिक और सामाजिक सहायता सेवाओं में व्यवधान पड़ा ;
- बच्चों की दिनचर्या में व्यवधान आया ;
- किशोरों द्वारा शराब और/या मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि होने लगी ;
- माता –पिता/अभिभावकों (दोनों या किसी एक) के महामारी के कारण मृत्यु हो जाने से ऐसे बच्चों के सामने जीवन और सुरक्षा का संकट खड़ा होने लगा ; तथा

- बच्चों के देखभाल व संरक्षण के लिए कामचलाऊ व्यवस्था पनपने लगी ।

इनमें से कोई भी या सभी कारक उन बच्चों के लिए नुकसान के जोखिम को बढ़ा सकते हैं जो पहले से ही कठिन व उपेक्षापूर्ण जीवन जी रहे थे । ये कारक अत्यधिक तनावग्रस्त अभिभावकों (या देखभाल करने वालों) का बच्चों के प्रति उग्र हो जाने या अति दुर्व्यहार करने की संभावना को भी बढ़ा सकते हैं। ये नए –नए व भांति - भांति के तनाव ऐसे समय में आ रहे हैं जब बच्चों तक उन व्यक्तियों और पेशेवरों की पहुँच बहुत कम हो गयी जो आमतौर पर उनकी सुरक्षा में कार्यरत रहते हैं, और जब बाल और परिवार कल्याण सेवाएं अत्यधिक अच्छी स्तिथि में नहीं चल रहीं हैं या बाधित हैं ।

लेंसट के ताजा शोध में यह पाया गया है कि स्कूली बच्चे महीनों से अपने घरों में बंद होने और अपने मित्रों से नहीं मिल पाने के कारण बोझिल माहौल से ऊब गए हैं और तनावग्रस्त हो चुके हैं। जबकि महिलाओं पर लाकडाउन और कोरोना प्रोटोकाल के बढ़ते दबाव के चलते उनके लिए चारदीवारी के बीच काम का बोझ बढ़ गया है और उन्हें घरेलू हिंसा का भी अधिक सामना करना पड़ा है (https://www.thelancet.com/article/S-31927(20)6736-0140/9fulltext)। आस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार तनाव के 7.6 करोड़ मामले दर्ज हुए हैं। कोविड के संक्रमण के दौरान वर्ष 2020 में करीब 5.3 करोड़ लोगों को अवसाद से ग्रस्त पाया गया। सहायक शोधकर्ता अलीज फरारी के अनुसार वैश्विक महामारी के दौरान महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अधिक नुकसान उठाना पड़ा है।

इसी तरह स्कूल और बाहर खेलकूद के सभी साधन बंद होने के कारण बच्चों को भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। उन्हें पढ़ाई.लिखाई में भी बेहद नई परिस्थितियों और दुश्वारियों से दो.चार होना पड़ा है। वर्ष 2020 में इससे पहले हुए 48 विभिन्न शोधों में भी 204 देशों में कोरोना की मार का असर सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों पर होने की बात साबित हुई है।

पिछले वर्ष के संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के कई देशों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में काफी तेजी आई है। दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी हुई है जबकि पेरू में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी देखी गई है।

संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक महामारी के चलते लगाई गई पाबंदियों की वजह से दुनियाभर में लोगों की आवाजाही बाधित होने के बावजूद युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकार हनन की घटनाओं के कारण पिछले साल करीब 30 लाख लोगों को अपना घरबार छोड़ना पड़ा था। इस वैश्विक महामारी के चलते अभी तक पूरी दुनियां में लगभग 14 करोड़ बच्चे और उनका परिवार अत्यधिक गरीबी के दलदल में धकेल दिए गए हैं और बड़ी संख्या में बच्चो से बाल मजदूरी करा कर उनका शोषण किया जा रहा है। पिछले दस वर्षों में पहली

बार बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि की सम्भावना है। इस वैश्विक महामारी की तीसरी लहर की आने की सम्भावना के मद्देनज़र आने वाले समय में बाल मजदूरी के आंकड़ों के और बढ़ने की सम्भावना है ।

ऐसे में ज़रूरी है कि समुदाय और समुदाय आधारित संगठन व ढांचे (जैसे ग्राम स्तर बाल संरक्षण समिति /ब्लाक स्तर बाल संरक्षण समिति) बच्चो की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर लें और सुनिश्चित करें कि हर बच्चा बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल व्यापार, यौन दुर्व्यहार से बचा रहे और उसकी पढाई में आया व्यवधान जल्द से जल्द दूर हो और बच्चा पुनः स्कूल जाने लगे । अगर किसी बच्चे के माता या पिता में से किसी एक या फिर दोनों की वैश्विक महामारी के कारण मृत्यु हो गई हो तो उसके भी देख- रेख व पुनर्वास की व्यवस्था की जिम्मेदारी ये समुदाय आधारित संगठन अपने ऊपर लें । वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों के कारण बच्चों के मानसिक स्वास्थय की स्थिति भी काफी सोचनीय है, अतः इन संगठनों को इस दिशा में भी जल्द पहल करनी चाहिए ताकि मानसिक व शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहते हुए बच्चे अपने समुचित विकास की ओर अग्रसर हो सकें ।

***

प्रशिक्षण पुस्तिका परिचय

प्रशिक्षण पुस्तिका क्यों ?

कोरोना काल में उत्पन्न तरह-तरह की मुश्किलों व आपदावों से परिवार ही नहीं पूरे समाज का संरक्षा तंत्र और ढाचा चरमरा सा गया है . इस स्तिथि का सबसे बुरा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो बच्चों पर पड़ा है . उनकी संरक्षा, शिक्षा, सेहत (शारीरिक व मानसिक दोनों स्तर पर),पोषण, विकास,खेलकूद व मनोरंजन सभी बुरी तरह बाधित हुए है. ऐसा लगता है जैसे उनका बचपन थम सा गया है.. उनका विकास रुक सा गया है... बहुत से बच्चों के सामने तो कई और तरह की चुनौतियाँ भी मुँह बायें खड़ी हो गई हैं जैसे बाल मजदूरी , बाल विवाह, बाल भिक्षावृति, बाल यौन दुर्व्यहार, बाल शोषण आदि . कई बच्चों ने तो अपने एक या दोनों अभिभावक भी खो दिए है और उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है..क्या शहर, क्या गाँव दोनों जगह ही ऐसी चुनौतियाँ आये दिन देखने को मिल जा रही हैं.

ऐसे में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गाँव या शहर में बाल सुरक्षा का ढांचा मज़बूत किया जाय तथा गाँव तथा शहर में बाल सुरक्षा हेतु गठित ग्राम /वार्ड स्तर बाल सुरक्षा समितियों (वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी.) को कोरोना काल में उत्पन्न बाल संरक्षण के मुद्दों पर कार्य करने हेतु समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाय.

प्रशिक्षण पुस्तिका किसके लिए ?

यह प्रशिक्षण पुस्तिका इस लिए तैयार की गई है ताकि समेकित बाल संरक्षण योजना(आई. सी.पी.एस) के तहत कार्यरत जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी(डी.सी.पी.ओ) व उनकी टीम (या फिर उनके माध्यम से कोई संस्था/संस्थान) ग्राम या वार्ड स्तर पर बाल सुरक्षा समितियों या उनसे जुड़े लोगों को इस विषय पर प्रशिक्षण दे सकें कि ‘कोरोना काल के इस घोर असुरक्षा भरे माहौल में बाल संरक्षण के मुद्दों की कैसे पहचान करें और किस प्रकार उनपर त्वरित ढंग से कारवाई करें ताकि गाँव/या शहर के बच्चों का जीवन संरक्षित रहे और उनके विकास के किसी भी ज़रुरत की अनदेखी न हो’.

इस प्रशिक्षण पुस्तिका का प्रयोग ऐसे प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने के लिए किया जा सकता है जो फिर आगे चलकर ग्राम या वार्ड स्तर पर बाल सुरक्षा समितियों या उनसे जुड़े लोगों को इस विषय पर प्रशिक्षण दे सकें .

उम्मीद है कि यह प्रशिक्षण पुस्तिका बाल संरक्षण के मुद्दों पर ग्राम तथा वार्ड स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों व समूहों को स्थानीय स्थिति का गहन अवलोकन कर बच्चों व समुदाय की जोखिमों व जरूरतों की पहचान कर उनका स्थायी समाधान तलाशने हेतु आवश्यक कार्यनीतिक कौशल(Strategic Skill) प्रदान करेगी.

प्रशिक्षण पुस्तिका में सीखने का दृष्टिकोण व प्रक्रिया :

यह प्रशिक्षण पुस्तिका अनुभव आधारित सीखने की प्रक्रिया(experiential learning) पर आधारित है. इसमें कर के सीखने पर ही सारा जोर दिया गया है. इसी उद्देश्य से हर सत्र में समूह कार्य शामिल है.समूह कार्य और समूह चर्चा के अभ्यास प्रशिक्षण पुस्तिका के उपयोगकर्ताओं को संरचनात्मक रूप से सोचने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा ऐसी हमारी उम्मीद है. यह प्रशिक्षण पुस्तिका तभी अपेक्षित परिणाम दे पायेगी जब उपयोगकर्ता इसमें दिए गए क्रियाकलापों और निर्देशों को अपने समुदायों की वास्तविक स्थितियों से जोड़ कर देखेंगे और स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार क्रियाकलापों का अनुकूलन कर उसका प्रयोग करेंगे.

हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रशिक्षण पुस्तिका प्रशिक्षकों को अपने जिलों के ग्राम/वार्ड स्तर बाल सुरक्षा समितियों (वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी.) से जुड़े सामुदायिक कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, युवा, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता ,एन.जी.ओ. स्टाफ आदि) को, 'कोरोना काल के सन्दर्भ में बाल संरक्षण के मुद्दों' पर प्रशिक्षण प्रदान करने में उपयोगी साबित होगी.

इसमें वह सभी महत्वपूर्ण सामग्री भी शामिल है जिसे समय और संसाधनों की सीमाओं के कारण इनसे जुडी फिल्मों में पर्याप्त रूप स्थान नहीं मिल पाया है। यह मॉड्यूल जिला स्तर के प्रशिक्षकों को वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी से सम्बंधित व्यक्तियों को एक बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

प्रशिक्षण पुस्तिका की संरचना व प्रयोग :

इस प्रशिक्षण पुस्तिका के मूलत दो भाग हैं,परन्तु पहले और दूसरे भाग आपस में जुड़े नहीं हैं. यह दोनों भाग एक ही विषय पर स्वतंत्र प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु तैयार किये गए हैं . दोनों भागों में अंतर यह है कि पहला भाग एक दिन की कार्यशाला हेतु निर्मित है तथा दूसरा भाग आधे दिन की कार्यशाला हेतु निर्मित है.

<u>प्रशिक्षण पुस्तिका : भाग एक</u> :: इसमें कुल 5 घंटे के प्रशिक्षण हेतु सामग्री शामिल है जिसे एक कार्य दिवस के भीतर पूरा किया जा सकता है .

इस भाग में सात सत्र शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

- पहला सत्र : प्रशिक्षण का उद्देश्य और परिचय
- दूसरा सत्र : ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य
- तीसरा सत्र : कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक
- चौथा सत्र :कोरोना काल में बच्चों से जुड़े कुछ ज्वलंत मुद्दे (बाल मजदूरी,बाल विवाह.. आदि)

- पाँचवां सत्र : बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख व निगरानी
- छठां सत्र : सर्किल/घेरा
- सातवां सत्र : वी / डब्ल्यू. सी.पी.सी की कार्य योजना (समापन सत्र)

प्रशिक्षण पुस्तिका : भाग दो :: इसमें कुल 2 घंटे के प्रशिक्षण हेतु सामग्री शामिल है जिसे आधे कार्य दिवस के भीतर पूरा किया जा सकता है .

इस भाग में चार सत्र शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

- पहला सत्र:प्रशिक्षण का उद्देश्य तथा परिचय
- दूसरा सत्र: i.ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य तथा बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख व निगरानी में इसकी भूमिका
  ii.कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक
- तीसरा सत्र: i.कोरोना काल में बच्चों से जुड़े कुछ ज्वलंत मुद्दे (बाल मजदूरी,बाल विवाह.. आदि)
  ii-सर्किल/घेरा
- चौथा सत्र : वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना

अनुलग्नक: प्रशिक्षण पुस्तिका के अंत में अनुलग्नक दिए गये हैं जिसमें बाल संरक्षण से जुडे कुछ कानूनों तथा कार्यक्रमों/स्कीमों की जानकारियां दी गई है . यह जानकारियां प्रशिक्षण सत्रों को चलाने में सहायक होंगी. ज़रुरत पड़ने पर इस जानकारियों को सहभागियों के साथ भी साझा किया जा सकता है ताकि वे भी इसे पढ़ कर अपने आप को इस विषय पर कार्य करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकें .

फिल्म श्रृंखला व पोस्टर् आदि का प्रशिक्षण में उपयोग:

इस प्रशिक्षण पुस्तिका में पांच विषय आधारित फिल्मों तथा कई पोस्टरों का अलग-अलग सत्रों में प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. ये फिल्में और पोस्टर इस प्रशिक्षण पुस्तिका का हिस्सा हैं तथा ये सभी इस पुस्तिका के साथ उपलब्ध हैं. आमतौर पर यह फिल्में निर्देशानुसार बताये गए सत्र व समय पर ही चलाई जानी चाहिए,परन्तु अगर ज़रुरत पड़े तो इन फिल्मों को बीच में चर्चा के लिए रोका या आगे-पीछे भी दिखाया जा सकता है. गाँव –मोहल्लों में जब कभी भी बहुत कम समय में 'कोरोना व बाल संरक्षण विषय पर' लोगों तक ठोस सन्देश पहुचना हो तो , सिर्फ ये फिल्में दिखा कर इन पर चर्चा करना भी बाल सुरक्षा जाल को मज़बूत करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है.

प्रशिक्षकों के लिए सामान्य निर्देश:

- प्रशिक्षण आरम्भ करने से पहले प्रशिक्षण पुस्तिका में दी गई जानकारी तथा निर्देशों को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके साथ ही अनुलग्नक में दी गई जानकारी को भी पूरा पढ़ें .
- प्रत्येक सत्र के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची सत्र-योजना के साथ ही दी गई है . इसे ध्यान पढ़ें तथा प्रत्येक सत्र के लिए सभी आवश्यक स्टेशनरी तथा श्रव्य -दृश्य उपकरण(audio visual equipment) की व्यवस्था पहले से ही कर लें।
- प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विडियो तथा ऑडियो सामग्रियों को भी पहले से ही एकत्रित कर लें।
- अनुलग्नक (annexture) में दिए गए सामग्रियों की सहायता से जहाँ भी निर्देशित / आवश्यक हो पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति पहले से ही तैयार कर लें . जहाँ भी आवश्यक हो उद्धरण तथा स्थानीय आंकड़े का उपयोग करें।
- सभी सहभागियों को समूह में सक्रिय रखें तथा इस बात का ध्यान रखें कि सभी सहभागी खुली चर्चा या समूह चर्चा में सक्रिय व सामान रूप से भाग लें ।
- समूह अभ्यास के लिए पर्याप्त समय दें।
- प्रशिक्षण पुस्तिका में समूह कार्य हेतु जगह -जगह चित्रों/चार्टों का उपयोग किया गया है। समूह कार्यों को दिए गए चित्रों /चार्टों की सहायता से संचालित करें .
- प्रशिक्षण के दौरान सवाल–जवाब के लिए उचित समय दें। प्रत्येक सत्र के अंत में सत्र का सार संलग्न पोस्टरों या किसी भी अन्य माध्यम से ज़रूर साझा करें. फैसिलिटेटर चाहें तो किसी सहभागी को भी सत्र का सार बताने के लिए अनुरोध कर सकते हैं , इससे इस बात का अनुमान भी हो जायेगा कि वे कितनी गंभीरता से प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं या चीजों को कितना समझ या ग्रहण कर पा रहे हैं.

***

प्रशिक्षण पुस्तिका- भाग एक

पहला सत्र :प्रशिक्षण का उद्देश्य और परिचय

सत्र का उद्देश्य:

- प्रशिक्षण की ज़रुरत और उद्देश्य पर चर्चा
- प्रतिभागियों का परिचय
- संकोच दूर करना
- कार्यशाला से सहभागियों की उम्मीदें जानना

सत्र की कुल अवधि : 30 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा (आयोजक/ प्रशिक्षक/फैसिलिटेटर द्वारा)	7 मिनट	-अनुरूपण अभ्यास / उर्जावर्धक खेल का विवरण -बड़े आकार का पोस्ट इट -पेन/पेंसिल
2	परिचय/अनुरूपण अभ्यास (जोड़ी-परिचय खेल)	17 मिनट	
3	हमारी उम्मीदें -पोस्ट इट क्रियाकलाप (कार्यशाला से सहभागियों की उम्मीदें जानने हेतु)	6 मिनट	

सत्र विवरण :

कार्यशाला के उद्देश्य पर चर्चा (समय-7 मिनट) : सत्र के आरम्भ में आयोजक या प्रशिक्षक/फैसिलिटेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर संक्षिप्त रूप में अपनी बात रखें.अपनी बात स्थानीय उदाहरणों का सहारा लेते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर रखें :-

- कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान बच्चों और उनके परिवारों की क्या स्थिति हुई,
- किस तरह परिवारों ने अपने निकट संबंधी खोये.
- कैसे लोग बेरोजगार हुए.

- कैसे रोज़गार खोने के कारण उन लोगो को जो बाहर कार्य करते थे (प्रवासी श्रमिक), अपने गांवों की ओर पैदल ही तमाम जोखिमों का सामना करते हुए वापस लौटना पड़ा.
- कैसे खास कर दूसरी लहर में ऑक्सीजन,बेड और दवा की किल्लत के कारण परिवारों को अपने सदस्य खोने पड़े.
- इन सब का सबसे बुरा असर बच्चों पर कैसे पड़ा.
- बच्चों की सेहत (मानसिक-शारीरिक) ,उनकी शिक्षा, खान-पान , मनोरंजन सभी किस तरह प्रभावित हुई .
- जिन बच्चों ने अपने माता-पिता में से कोई एक जाना खोया या फिर दोनों जने खोये उनके जीवन पर इसका प्रभाव .
- बाल विवाह, बाल मजदूरी, बच्चों को गैर कानूनी रूप से गोद लेने की घटनाएं कितनी बढीं , और अगर बच्चों के व्यापार की भी कुछ सामने आई तो उनकी भी चर्चा .

यह बताएं कि इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है ताकि गाँव या वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण के मुद्दों पर मिल क्या किया जाये, इस पर समझ विकसित हो , तथा ग्राम/वार्ड स्तर की बाल संरक्षण समिति इन मुद्दों पर कैसे हस्तक्षेप /कारवाई करे ताकि वहां बच्चों के अधिकारों का हनन न हो, बच्चे सुरक्षित और संरक्षित रहे और उन्हें समुचित विकास के सभी अवसर मिलें.

यह बताएं कि यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है ,और हमें आशा है कि कार्यशाला के अंत तक सभी भागीदार बाल संरक्षण के मुद्दे पर आने वाली चुनौतियों की पहचान कर उसके निराकरण के समुदाय आधारित तौर तरीके समझ-बूझ और अपना पायेंगे. प्रशिक्षक/फैसिलिटेटर चाहें तो खुली चर्चा के बजाय उपरोक्त विषय पर एक पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना कर भी प्रस्तुत कर सकते हैं.

परिचय/अनुरूपण अभ्यास (समय-17 मिनट):

प्रशिक्षक/फैसिलिटेटर प्रतिभागियों का परिचय कराने एवं उनकी झिझक तोड़ने हेतु एक खेल खेलेंगे .

खेल /अभ्यास : यह खेल जोड़ी में खेला जायेगा . फैसिलिटेटर सहभागियों को कहेंगे कि उन्हें ऐसे एक व्यक्ति को अपना जोड़ीदार बनाना है जिन्हें वे पहले से न जानते हों . फिर सभी सहभागियों को एक बड़े गोले में अपने – अपने जोड़ीदार के साथ खड़े होने को कहना होगा. फिर उन्हें एक दूसरे के बारे में जानने के लिए तीन मिनट का समय देना होगा. सभी को अपने जोड़ीदार का नाम, स्थान/संस्था ,काम, पसंद, नापसंद आदि पूछना होगा और याद रखना होगा (नोट नहीं करना हगा) . तीन मिनट के बाद सभी को फिर से बड़े गोले में खड़े होने को कहना होगा . इसके बाद एक एक करके सभी सहभागी अपने जोड़ीदार के बारे में बड़े होल में जानकारी देंगे . जैसे : ये मेरे जोड़ीदार हैं,इनका नाम मोहन राम हैं, ये बिहार के नवादा जिले के आनंदपुरा ग्राम के निवासी है, ये उसी गाँव

के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं,इनको बच्चों के साथ कबड्डी खेलना अच्छा लगता है, इनको बैगन खाना एकदम पसंद नहीं है, आदि आदि... . इसी प्रकार इस जोड़े का दूसरा जोड़ीदार भी अपने साथी का परिचय देगा. जब सभी लोग अपने जोड़ीदारों का परिचय दे लेंगे तब फैसिलिटेटर कहेंगे कि अब हम सभी ने एक दूसरे को जान लिया, आईये अब जानते हैं कि आप सब यहाँ क्या उम्मीद लेकर आये हैं.

(अभ्यास समझाने हेतु -2 मिनट , एक दूसरे के बारे में जानने हेतु- 3 मिनट , बड़े गोले में परिचय हेतु -12 मिनट)

हमारी उम्मीदें (समय-6 मिनट): फैसिलिटेटर कहेंगे कि आप सभी यहाँ कोई न कोई उम्मीद लेकर ज़रूर आये होंगे , हम उन उम्मीदों को जानना चाहते हैं ताकि हमारी कोशिश हो कि कार्यशाला के दौरान उन उम्मीदों को पूरा किया जा सके .

फैसिलिटेटर सभी को तीन-तीन पोस्ट-इट देंगे और कहेंगे कि एक पोस्ट-इट पर प्रतिभगियों केवल एक ही उम्मीद लिखनी है (कुल मिला कर हर व्यक्ति तीन उम्मीद लिखेगा तीन पोस्ट- इट पर) . सभी का लिखना पूरा हो जाने के बाद फैसिलिटेटर सभी से पोस्ट-इट वापस ले कर ,सभी पोस्ट–इट को चार्ट पेपर पर चिपका देंगे , और चार्ट पेपर का शीर्षक देंगे –कार्यशाला से . फैसिलिटेटर को समय निकाल कर इन सभी उम्मीदों पर एक नज़र डालनी होगी और कोशिश करनी होगी कि जहाँ तक संभव हो वे उमीदें पूरी की जायें .

(क्रियाकलाप समझाने हेतु समय-2 मिनट, लिखने का समय-3 मिनट, पोस्ट-इट चिपकाने का समय -1 मिनट)

***

दूसरा सत्र: ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य

सत्र का उद्देश्य :

- कोरोना लाकडाउन का बच्चों (और समुदाय) पर असर की पहचान .
- यह पता लगाना कि इन मुद्दों पर हम सामूहिक रूप में क्या कर सकते हैं ताकि बच्चों को उनके अधिकार मिल सकें.
- ग्राम/वार्ड स्तर बाल सरक्षण समिति के बारे में जानकारी का स्तर मालूम कर समुचित जानकारी देना, खास कर उसके गठन और कार्यों के बारे में जानकारी देना.
- ग्राम/वार्ड स्तर बाल सरक्षण समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों,मूल्यों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों पर चर्चा करना.

सत्र की कुल अवधि : 60 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1.	कोरोना वृक्ष अभ्यास : इसके द्वारा *कोरोना विश्वव्यापी महामारी का बच्चों (और समुदाय) पर असर- अर्थात बच्चों (और समुदाय) पर आई मुश्किलों या बिपत्तियों की पहचान करना, उनका कारण क्या है यह जानना , तथा उनका हल हम कैसे कर सकते हैं इसका पता लगाना ताकि बच्चों को उनके अधिकार दिलाये जा सकें .*	22 मिनट	- फिल्म -1 (बाल सरक्षण समिति का गठन) -फ्लिप चार्ट पेपर/चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप (चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप - कोरोना वृक्ष का बड़ा चित्र-चार्ट पेपर पर (5 कापी)
2.	मानव गाँठ (human knot) खेल – सन्देश- हम सब मिलकर अपनी समस्यायें बेहतर ढंग से और जल्द सुलझा सकते हैं .यह बेहतर संघर्ष समाधान का भी एक तरीका है .	15 मिनट	
3.	फिल्म -1 (बाल सरक्षण समिति का गठन) (यह फिल्म देखना)	10 मिनट	

4.	बाल सरक्षण समिति के गठन एवं कार्यों के बारे में संक्षेप में चर्चा (खास कर मार्गदर्शक सिद्धांत,कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां आदि)	10 मिनट	- बाल सरक्षण समिति के गठन एवं कार्यों के बारे में पोस्टर
5.	सत्र का सार (पोस्टर की सहायता से)	3 मिनट	

सत्र विवरण :

1.कोरोना वृक्ष अभ्यास (समय 22 मिनट):

फैसिलिटेटर सभी सहभागियों को कहें कि अब हम कोरोना वृक्ष अभ्यास करेंगे, जिसके द्वारा हम कोरोना विश्वव्यापी महामारी का बच्चों (और समुदाय) पर असर- अर्थात बच्चों (और समुदाय) पर आई मुश्किलों या बिपत्तियों की पहचान करेंगे तथा उन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं इसका पता लगायेंगे ताकि सभी बच्चे संरक्षित रहें .

समूह विभाजन: फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को चार या पांच समूहों में विभाजित करें. समूह का निर्माण गाँव/वार्ड के आधार पर किया जा सकता है या फिर प्रतिभागियों से एक से पांच तक की गिनती गिनवा कर मिश्रित समूह भी बनाया जा सकता है(एक संख्या वाले लोग एक समूह में रहेंगे), पर अच्छा होगा कि गाँव/वार्ड के लोग एक समूह में रहें जिससे कि वहाँ के मुद्दों पर सामने लाने मे सहायता होगी . एक समूह में अधिक से अधिक 7-8 लोग ही हों तो बेहतर होगा.

<u>अभ्यास:</u> फैसिलिटेटर हर समूह में एक/दो चार्ट पेपर और कुछ मार्कर पेन दे देंगे और फिर कहेंगे कि सभी समूह एक-एक कोरोना वृक्ष का खाका /चित्र चार्ट पेपर में बनायें (दिए गए चित्र के सामान).

फिर निम्न लिखित विषय पर समूह चर्चा करें:

1. *कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण बच्चों (और समुदाय) पर किस प्रकार की मुश्किलें /बिपत्तियाँ / समस्याएँ आयीं (.*
2. *इन मुश्किलों के मूल कारण क्या थे/हैं .*
3. *इन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं ताकि सभी बच्चे संरक्षित रहें .*

समूह चर्चा के बाद :

-मुश्किलें/बिपतियाँ/समस्याएँ जो सामने आयीं (कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण)- उन्हें वृक्ष की अलग अलग शाखाओं(डालियों) के अन्दर लिखें .

इन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं
इन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं
मुश्किलें/ बिपतियाँ/ समस्याएँ जो सामने आयीं (कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण)
इन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं
मुश्किलें/ बिपतियाँ/ समस्याएँ जो सामने आयीं (कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण)
इन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं
मुश्किलें/ बिपतियाँ/ समस्याएँ जो सामने आयीं (कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण)
मुश्किलें/ बिपतियाँ/ समस्याएँ जो सामने आयीं (कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण)
मुश्किलें/ बिपतियाँ/ समस्याएँ जो सामने आयीं (कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण)
मुश्किलें/ बिपतियाँ/ समस्याएँ जो सामने आयीं (कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण)
कोरोना वृक्ष अभ्यास
इन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं
इन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं
मुश्किलों के मूल कारण
मुश्किलों के मूल कारण
मुश्किलों के मूल कारण
मुश्किलों के मूल कारण
मुश्किलों के मूल कारण
मुश्किलों के मूल कारण

-मुश्किलों के मूल कारण – जड़ वाले भाग में अलग अलग जड़ों के पास लिखें.

-इन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते- यह शाखाओं के बाहर हर मुश्किल/बिपत्ति/समस्या का हल उसके सामनें लिखें .

जब यह अभ्यास पूरा हो जाये तो हर समूह अपने अपने कोरोना वृक्ष चार्ट को दीवार पर लगा दे जिससे कि सभी समूह एक दूसरे के समूह चर्चा परिणामों से अवगत हो सकें .

<u>समय विभाजन</u> : 2 मिनट समझाने हेतु, 13 मिनट समूह चर्चा हेतु, 7 मिनट चार्ट पेपर पर लिखने व वृक्ष चार्ट दीवार पर प्रदर्शित करने हेतु .

2.मानव गाँठ खेल (**human knot game**) (समय 15 मिनट):: यह खेल छोटे -छोटे समूहों में खेला जायेगा ,इसके लिए फैसिलिटेटर निम्नलिखित तरीके से समूह बिभाजन कर सकते हैं.

समूह विभाजन: फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को पांच समूहों में विभाजित करें . एक से पांच तक की गिनती गिनवा कर पांच मिश्रित समूह बनाएं (एक संख्या वाले लोग एक समूह में रहेंगे) . एक समूह में अधिक से अधिक 7-8 लोग ही हों तो बेहतर होगा .

फैसिलिटेटर कहें कि यह खेल दो हिस्सों में खेला जायेगा और उसके बाद हम इससे मिलने वाली सीख पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे :

<u>खेल का पहला भाग:6 मिनट</u>

- एक भागीदार को वालंटियर करने के लिए कहें और उसे हॉल से बाहर भेज दें और बुलाए जाने पर वापस आने के लिए कहें।

- हॉल में शेष भागीदारों को एक साथ हाथ मिलाने के लिए कहें और इस चैन को तोड़े बिना (रस्सी की तरह) एक मानव गाँठ बनाएं। उन्हें अंतिम रूप देने से पहले अभ्यास करने के लिए कहें।

- अब जिस भागीदार को बाहर भेजा था उन्हें बुलाएं और बोलें की उसे बिना छुए इस मानव गाँठ को खोलना है।

- वह बाकी सहभागियों को इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दे सकता/सकती है लेकिन केवल सही निर्देश का ही पालन किया जाएगा।

उदाहरण : अगर भागीदार राम को कहता है की तुम कविता के हाथ से अपना हाथ हटाओ तो यदि राम का हाथ कविता के हाथ पर या उसके ऊपर है, तो ही वह अपना हाथ बढ़ाएगा अन्यथा नहीं।

- शुरू करने से पहले वालंटियर से पूछिए की उनको कितना समय लगेगा। वह निर्देश दे सकता है, यदि एक सही निर्देश दिया जाता है तो केवल मानव गाँठ समूह ही उसका पालन करेगा। घडी को टाइम कीपिंग के लिए तैयार रखें और खेल शुरू करें।

- जब वालंटियर कहे कि गाँठ सुलझ गई अब खेल समाप्त करें , तो इस कार्य में लगे समय को नोट करें और सबसे साझा करें।

<u>खेल का दूसरा भाग: 6 मिनट</u>

- अब समूह को दूसरी बार खेल को फिर से खेलने के लिए कहें और इस बार उन्हें मानव गाँठ का रीमेक बनाने के लिए कहें और कहें कि इस बार कोई बाहर से मदद को नहीं आएगा ,उन्हें अपनी मानव गांठ खुद ही सुलझानी है /खोलनी है ।

- इस बार गाँठ खुलने में लगे समय पर ध्यान दें (आमतौर पर समूह अपनी गाँठ को वालंटियर की तुलना में अधिक तेज़ी से खोलता /सुलझाता है)

<u>इस खेल से मिलने वाली सीख पर संक्षिप्त चर्चा – 3 मिनट</u>

फैसिलिटेटर पूछें:

- कि खेल के दौरान क्या हुआ?

- किस बारी में वे जल्दी और आसानी से गाँठ को खोल पाए?

फैसिलिटेटर करें:

कुछ लोगो के जवाब लें और उसे चार्ट पपेर पर लिखें।

फैसिलिटेटर कहें:

आप लोगो को दूसरे दौर में कम समय लगा क्योंकि आपने गाँठ सुलझाने के लिए एक टीम के रूप में काम किया। जबकि पहले दौर में केवल एक व्यक्ति ही सभी प्रयास कर रहा था और वह बाहरी था, इसलिए बहुत समय लगा और यह सभी के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो इससे हमें यह समझ आता है कि अगर हम सब मिलकर

टीम भावना के साथ किसी भी दिक्कत या परेशानी का हल ढूंढते हैं तो हमेशा बेहतर होता है, काम जल्दी ख़तम होता है और इसमें मज़ा भी आता है!

सीख : इस खेल के अंत तक, प्रतिभागियों ने यह जान लिया होगा कि:

1. किसी विषय पर एक साथ मिल जुलकर काम करने से हमे ख़ुशी मिलती है, हम काम जल्दी कर पाते हैं और एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
2. साथ मिलकर कार्य करने से रचनात्मक सोच और सहभागिता का विकास होता है, क्यूंकि सभी साथी अपने अलग-अलग प्रकार के विचार और अनुभव शेयर कर पाते है साथ मिल कर किसी मुद्दे पर कार्य करने के उपाय तलाश पाते हैं ।
3. साथ मिलकर कार्य करने से हम दूसरो को बेहतर तरीके से समझ पाते है, इससे हमें दूसरों को समझने और स्वीकार करने में बहुत मदद मिलती है।

3.फिल्म देखना - फिल्म -1 - बाल सरक्षण समिति का गठन (समय 10 मिनट) : फैसिलिटेटर इस फिल्म को एलसीडी प्रोजेक्टर की सहायता से स्क्रीन (परदे) पर दिखायेंगे. फिल्म दिखाने के बाद फैसिलिटेटर लोगों से पूछेंगे कि वे ग्राम /वार्ड स्तरीय बाल सरक्षण समिति के बारे में क्या जानकारी रखते हैं?

-उसके उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में

-उसके गठन ,कार्यों व जिम्मेदारियों के बारे में

फैसिलिटेटर सहभागियों से प्राप्त जानकारी को फ्लिप चार्ट पर एक-एक कर लिखेंगे .वे मार्गदर्शक सिद्धांतों को एक चार्ट पेपर पर और गठन, कार्यों और जिम्मेदारियों को अलग चार्ट पेपर पर दर्ज करेंगे.

4.बाल सरक्षण समिति के गठन एवं कार्यों के बारे में संक्षिप्त चर्चा (समय 10 मिनट):

फैसिलिटेटर कहेंगे कि अभी पिछले सत्र में हमने इस विषय पर एक फिल्म देखी और बड़े समूह में खुली चर्चा भी की . चर्चा से उभर कर आई बातें फ्लिप चार्ट पर आपके समक्ष हैं ही.. इस विषय पर आप सबने बहुत सारी जानकारी दे दी है , आप सबों की बातों को एक साथ रखते हुए और साथ में जो बातें छूट गई हैं उनको भी जोड़ते हुए आपके सामने एक पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ताकि बाल सरक्षण समिति के गठन के मार्गदर्शक सिद्धांत, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां आप सबको और स्पष्ट हो जायें .

'बाल सरक्षण समिति के गठन एवं कार्य' विषय पर फैसिलिटेटर द्वारा एक पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन/ प्रस्तुतीकरण :

फैसिलिटेटर अनुलग्नक में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न बिंदुओं पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना कर प्रतिभागियों को दिखाएं और इस विषय पर उनका कोई सवाल हो तो उसका उत्तर दें :

- *बाल सरक्षण समिति के मार्गदर्शक सिद्धांत*
- *बाल सरक्षण समिति की गठन प्रक्रिया*
- *बाल सरक्षण समिति का उद्देश्य*
- *बाल सरक्षण समिति के सदस्यों का चयन मानदंड*
- *बाल सरक्षण समिति की संरचना, तथा*
- *बाल सरक्षण समिति की जिम्मेदारियां एवं कार्य*

इस विषय पर दिए अनुलग्नक का प्रिंट आउट भी सभी सहभागियों को दिया जाये तो बेहतर होगा .

5.सत्र का सार *(समय-3 मिनट):- फैसिलिटेटर इस सत्र में हुए क्रियाकलापों का सार प्रस्तुत करें ताकि सभी को एक बार फिर से चीजें दुहरा जायें.* सारांश प्रस्तुत करने के लिए इस विषय पर निर्मित पोस्टर भी उपयोग में लाया जा सकता है.

***

तीसरा सत्र : कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक

सत्र का उद्देश्य:

- कोरोना काल में हमारे शुभचिंतकों और सहायकों की पहचान और उनसे उम्मीदों पर चर्चा

सत्र की कुल अवधि : 40 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

<table>
<tr><th>क्रम</th><th>क्रिया कलाप</th><th>अवधि</th><th>सामग्री</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>फिल्म -2 : ‘कोरोना काल में परिवार और समाज के सहायक ‘(यह फिल्म देखना)</td><td>9 मिनट</td><td rowspan="3">- फिल्म -2 : ‘कोरोना काल में परिवार और समाज के सहायक
-फ्लिप चार्ट पेपर
- मार्कर पेन
- विभिन्न आकारों के रंगीन कागज के गोल टुकड़े (चपाती)
-चार्ट पेपर (विभिन्न रंगों के)
-टेप (चिपकाने वाला)
-छोटी कैंची (5)
-प्रोजेक्टर और स्क्रीन
-माइक
-लैपटॉप
- कोरोना काल में हमारे सहायकों की पहचान और उनसे उमीदों पर पोस्टर</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>चपाती चित्र अभ्यास एवं प्रस्तुतीकरण :
a. कोरोना काल में जिस .जिस प्रकार की मुश्किलें या बिपत्तियां आई/आ रही हैं उनकी सूची हमने पिछले सत्र में बनाई थी । इस सत्र में हम उनमें से ही 4-5 मामलों / केसों की पहचान करेंगे और उनपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि वे मामले क्या थे ।
b. उन मामलों/ केसों को हल करने में(मुश्किलों /बिपत्तियों का सामना करने में) कौन कौन से लोग सहायक /मददगार हुए /हो सकते हैं - उनकी सूची बनाना ।
c. उन लोगों ने किस प्रकार से मदद पहुंचाई /पहुंचा रहे हैं/पहुंचा सकते हैं.जितनी बड़ी समस्या /कठिनाई उतनी बड़ी चपाती लें

केन्द्रीय रेखा के मध्य में समस्या/कठिनाई लिखें , तथा केंद्रीय रेखा के ऊपर कौन मददगार हुए /हो सकते है यह लिखें , तथा वे कैसे मदद किए /कर सकते हैं यह केन्द्रीय रेखा के नीचे लिखें</td><td>28 मिनट</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सत्र का सार (पोस्टर की सहायता से)</td><td>3 मिनट</td></tr>
</table>

सत्र विवरण :

1.फिल्म देखना: फिल्म -2 : 'कोरोना काल में परिवार और समाज के सहायक ' (समय 9 मिनट) :

फैसिलिटेटर कहें कि इस सत्र की शुरुआत हम फिल्म देखने से करेंगे । यह फिल्म 'कोरोना काल में परिवार और समाज के सहायक' विषय पर आधारित है। यह फिल्म आप सब ध्यान से देखें क्यों कि इसके बाद वाले क्रियाकलाप में इसी विषय पर पर चर्चा होगी ।

2.चपाती चित्र अभ्यास एवं प्रस्तुतीकरण (समय 28 मिनट):

समूह विभाजन : फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को चार या पांच समूहों में विभाजित करें. समूह का निर्माण गाँव/वार्ड के आधार पर किया जा सकता है. एक समूह में अधिक से अधिक 7-8 लोग ही हों तो बेहतर होगा. अच्छा होगा कि पिछले क्रियाकलाप में जो समूह था वही इस क्रिया कलाप के लिए भी बना रहे ,क्यों कि उस समूह ने जो कार्य किया था उसी को इस क्रिया कलाप में आगे बढ़ाना है।

अभ्यास :

जब सभी समूह अपने अपने स्थान पर एक गोला बनाकर बैठ जाए तो फैसिलिटेटर कहें कि अब हम चपाती चित्र अभ्यास करेंगे । इसके लिए प्रत्येक समूह को रंगीन चार्ट पेपर को चपाती (रोटी)के आकार में काट कर बिभिन्न आकार की 5-6 चपातियाँ बना कर रखनी है ।

समूह चर्चा :

फैसिलिटेटर कहें कि कोरोना काल में जिस -जिस प्रकार की मुश्किलें या बिपत्तियां आई थीं /या आ रही हैं उनकी सूची हमने पिछले सत्र में बनाई थी। इस सत्र में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और नीचे लिखे तीन बिंदुओं पर समूह चर्चा करेंगे :

a- पिछले सत्र में चिन्हित मुश्किलों या बिपत्तियों (जो कोरोना काल के दौरान आई थीं /या आ रही हैं) की सूची में से 4-5 मामलों/केसों की पहचान करेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि उन वो मामले क्या थे। 4-5 घटना या मामले की जानकारी चर्चा कर लिखना। एक चपाती में एक ही घटना का विवरण लिखें

b- उन मामलों /केसों को हल करने में (आई मुश्किलों/बिपत्तियों का सामना करने में) कौन कौन से लोग सहायक /मददगार हुए /हो सकते हैं –चर्चा कर उनकी सूची बनाना

c- उन लोगों ने किस प्रकार से मदद पहुंचाई /पहुंचा रहे हैं / पहुंचा सकते हैं – चर्चा कर यह लिखना.

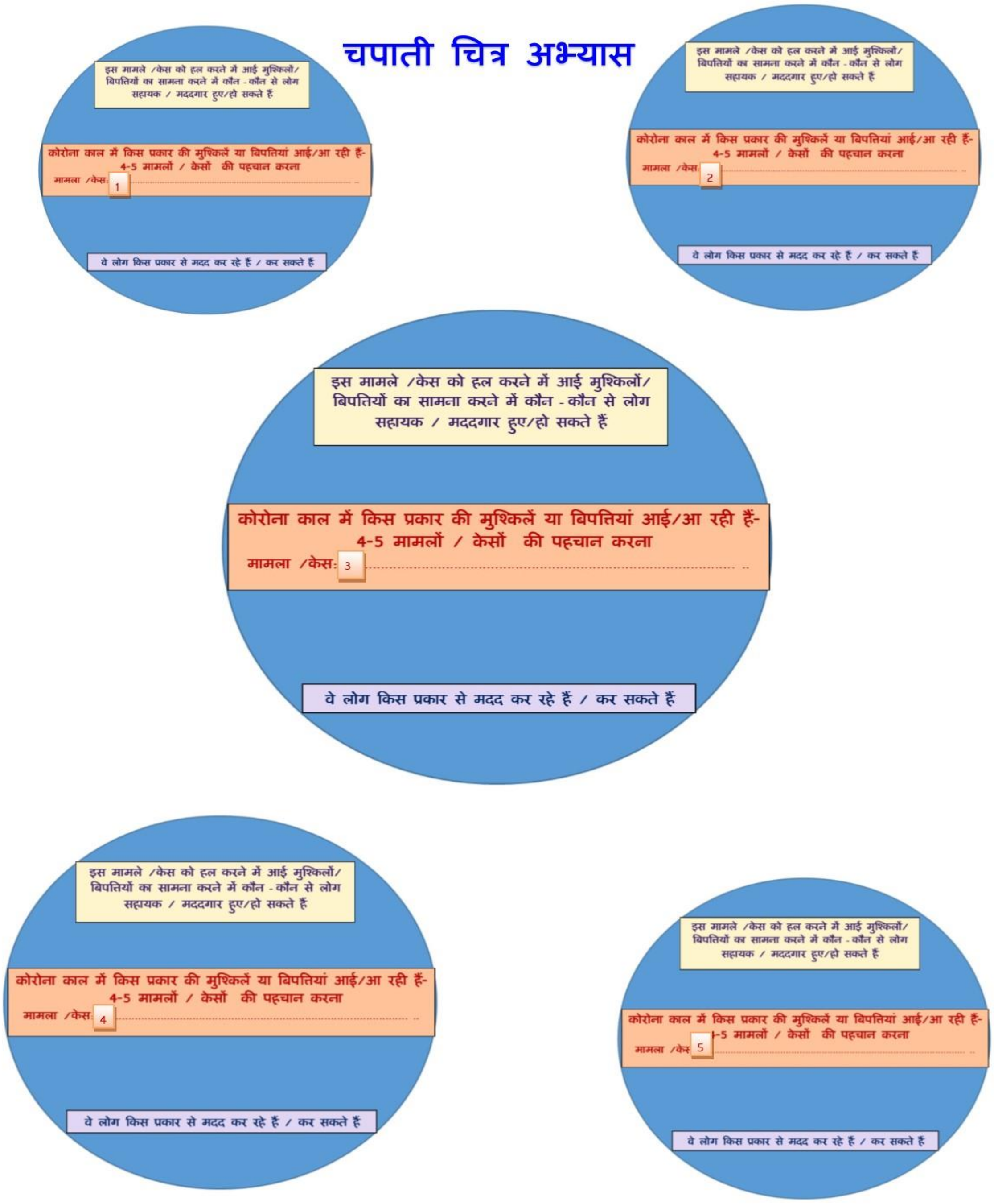

नोट: एक चपाती में एक ही घटना का विवरण लिखें । चपातियों का आकार समस्या/ कठिनाई/ मुश्किल के हिसाब से छोटा बड़ा लें , मुश्किल बड़ी हो तो चपाती बड़ी लें,छोटी हो तो छोटी चपाती लें ।

चपाती के केन्द्रीय रेखा के मध्य में आई मुश्किलें /कठिनाइयाँ लिखें ,तथा केंद्रीय रेखा के ऊपर कौन मददगार हुए /हो सकते है यह लिखें ,तथा वे कैसे मदद किए /कर सकते हैं यह केन्द्रीय रेखा के नीचे लिखें (जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है) ।

-जब सभी समूह चर्चा समाप्त कर अपनी चर्चा का सार अलग अलग पाँच चपातियों पर लिख लें तो , पांचों चापतियों को एक बड़े चार्ट पेपर पर चिपका कर उन्हें दीवार पर प्रदर्शित करने को कहें ।

कुल समय-28 मिनट (समूह चर्चा के लिए 18 :मिनट , चपातियों में समूह चर्चा का सार लिख कर दीवार पर प्रदशित करने के लिए 10 मिनट) .

प्रत्येक समूह चाहे तो 2-2 मिनट में अपनी प्रस्तुति भी कर सकता है , प्रस्तुति के बाद पांचों चापतियों वाले बड़े चार्ट पेपर को दीवार पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए.

3.सत्र का सार (समय 3 मिनट): फैसिलिटेटर इस सत्र का सार पोस्टर(संलग्न) की मदद से सबके सामने रखें ताकि सभी फिर से जान पाएं कि कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक कौन -कौन से लोग हैं और हम उनसे किस प्रकार के मदद की उम्मीद रख सकते हैं .

***

चौथा सत्र: कोरोना काल में बच्चों से जुड़े कुछ ज्वलंत मुद्दे (बाल मजदूरी व बाल विवाह.. आदि)

सत्र का उद्देश्य :

- कोरोना काल में बाल मजदूरी, बाल विवाह सहित ऐसे तमाम ज्वलंत मुदों का बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक सेहत और विकास के ऊपर पड़े असर के बारे में जान कर ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों में चर्चा करना.

सत्र की कुल अवधि : 50 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1.	खुली चर्चा : महामारी की अवधि के दौरान बाल संरक्षण की प्रमुख चुनौतियों / मुद्दों का पता लगाने के लिए. चर्चा बिंदु: - कोरोना महामारी के दौरान ऐसी कौन सी चुनौती /मुद्दा समुदाय में दिखा / बढ़ा है? जिसका बच्चों की शारीरिक - मानसिक स्तिथि और विकास पर बुरा असर पड़ा (उदाहरण के लिए कुछ मुद्दे ये हो सकते है ; बाल श्रम, बाल विवाह, शारीरिक / भावनात्मक शोषण, घरेलू हिंसा, बाल यौन शोषण / बच्चों पर ऑनलाइन दुर्व्यवहार / एलेक्ट्रोनिक गैजेट्स की लत आदि ....) (ऊपर दिए मुद्दे बस उदहारण हैं ,इनमें ऐसे अन्य सारे मुद्दों को जोड़ा जाना चाहिए) -चर्चा के उपरान्त बाल श्रम और बाल विवाह सहित कम से कम पांच मुद्दों की पहचान करना जिनपर आगे के सत्र में कार्य करना हैं .	8 मिनट	- फिल्म 3- बाल विवाह और बाल मजदूरी:एक दुविधा -फ्लिप चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप (चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप - शारीर का रेखा चित्र (बॉडी चार्ट)- 5-6 कापी
2.	फिल्म 3- बाल विवाह और बाल मजदूरी:एक दुविधा- (यह फिल्म देखना)	10 मिनट	

3.	वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी. व समाज अन्य के लोग चिन्हित किये गए (पांच) मुद्दों को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं : इस विषय पर बॉडी चार्ट (शरीर का रेखा चित्र) अभ्यास समूह कार्य व प्रस्तुतीकरण:. हर समूह कम से कम एक चिन्हित विषय को लेगा और उस पर निम्न प्रकार से चर्चा करेगा . चर्चा बिंदु: समस्या/मुद्दा संख्या – 1...../2...../3.../4..../5...... (उदहारण के लिए समस्या/ मुद्दा- संख्या 1 अगर बाल विवाह है तो) समूह चर्चा के प्रश्न इस प्रकार होंगे: *क- क्यों होता है बाल विवाह* *ख- क्या असर पड़ता है बाल विवाह का बच्चों पर* नकारात्मक प्रभाव */दुष्परिणाम (मानसिक-शारीरिक ,विकासात्मक..)* *ग- कैसे बाल विवाह बंद हों* *घ- कौन करायेगा बाल विवाह बंद (इसमें किसकी किसकी भूमिका होगी और क्या होगी)* *चर्चा के उपरांत सभी बिंदुओं को बॉडी चार्ट में इस प्रकार लिखना –* *चार्ट के ऊपर - मुद्दा/समस्या* *चेहरे पर* – पॉइंट क (क्यों)-कारण *शारीर के अन्दर* - पॉइंट ख (बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है) *शारीर के बाएँ तरफ* – पॉइंट ग *(कैसे यह समस्या दूर हो)* *शरीर के दायें तरफ* –पॉइंट घ*(कौन करायेगा इस समस्या को दूर-इसमें किसकी -क्या भूमिका होगी)*	30 मिनट	
4.	सत्र का सार	2 मिनट	

सत्र विवरण :

1.खुली चर्चा : 8 मिनट

फैसिलिटेटर कहेंगे कि अब हम सभी बड़े समूह में बात चीत करेंगे. *हमारी इस खुली चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह मालूम करना है कि ,* कोरोना महामारी के दौरान ऐसी कौन सी चुनौतियाँ /मुद्दे समुदाय में दिखे / बढे है , जिसका बच्चों की शारीरिक - मानसिक स्तिथि और उनके विकास पर बुरा असर पड़ा है और पड़ेगा .

चर्चा में जो भी मुद्दे निकल कर आयें उन्हें फैसिलिटेटर चार्ट पेपर पर लिखते जायें और कोशिश करें कि समूह के सभी व्यक्ति चर्चा में हिस्सा लें और वे सभी मुद्दे निकल कर बाहर आयें जिनका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा /पड़ता है.

जब फैसिलिटेटर को लगे कि असल मुद्दे चर्चा से निकल कर नहीं आ रहे हैं तो वे बीच बीच में समूह को उत्प्रेरित करने के लिए कुछ इशारा या हिंट भी दे सकते हैं (जैसे ..उदाहरण के लिए कुछ मुद्दे ये हो सकते है ; बाल श्रम, बाल विवाह, शारीरिक / भावनात्मक शोषण, घरेलू हिंसा, बाल यौन शोषण / बच्चों पर ऑनलाइन दुर्व्यवहार / एलेक्ट्रोनिक गैजेट्स की लत आदि ...) ये मुद्दे बस उदहारण के तौर पर बताये जाने चाहिए,पर फैसिलिटेटर कि कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे सारे मुद्दे चर्चा में निकल कर आयें जिसे लोगों ने खुद देखा-सुना और महसूस किया है और उसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है.

- फैसिलिटेटर चर्चा के उपरान्त समूह की राय मुताबिक बाल श्रम और बाल विवाह सहित कम से कम पांच सबसे अहम् मुद्दों की पहचान करें जिनपर अगले सत्र में कार्य करना हैं .

2. फिल्म देखना : फिल्म 3- बाल विवाह और बाल मजदूरी : एक दुविधा – समय **10** मिनट

फैसिलिटेटर कहें कि अभी-अभी आप सबने बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले अहम् मुद्दों की पहचान की और आगे हम एक अभ्यास के द्वारा इन मुद्दों की गहराई में जायेंगे . पर इससे पहले कि हम इन सभी चिन्हित किये मुद्दों की गहराई में जायें, आईये एक फिल्म देखते हैं जो बाल विवाह और बाल मजदूरी से जुडी अनेक दुविधावों पर प्रकाश डालती है और बताती है है कि ये बच्चों ही नहीं पूरे समाज के लिए किस प्रकार से नुकसानदायक है .

फैसिलिटेटर फिल्म दिखाने के बाद इससे मिले सन्देश पर संक्षिप्त चर्चा करें .

3. वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी. व समाज अन्य के लोग चिन्हित किये गए (पांच) मुद्दों को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस विषय पर बॉडी चार्ट (शरीर का रेखा चित्र) अभ्यास

समूह कार्य व प्रस्तुतीकरण) – समय 30 मिनट

फैसिलिटेटर कहेंगे कि अब हम सभी एक समूह अभ्यास करेंगे .यह अभ्यास पांच चरणों में होगा . इसके द्वारा हम मालूम मालूम करेंगे कि वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी. और समाज के लोग पिछले सत्र में चिन्हित किये गए पांच प्रमुख मुद्दों/ समस्याओं को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं . इस अभ्यास में हर समूह कम से कम एक विषय को लेगा और उस विषय पर तीचे बताये गये तरीके से चर्चा करेगा तथा चर्चा में निकल कर आयी बातों को एक बॉडी चार्ट शरीर) के रेखा चित्रपर (नीचे बताये गए तरीके से दर्ज कर प्रस्तुत करेगा .

पहला चरण : समूह विभाजन:

फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को पांच समूहों में विभाजित करें . प्रतिभागियों से एक से पांच तक की गिनती गिनवा कर पांच मिश्रित समूह बनाएं (एक संख्या वाले लोग एक समूह में रहेंगे).एक समूह में अधिक से अधिक 7-8 लोग ही हों तो बेहतर होगा. मिश्रित समूह बनाने से सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे को जानने और उनसे मेल-जोल बढ़ने का मौका मिलता है जिससे कि आगे चल कर सामूहिक कारवाई करने में मदद भी मिलती है .

दूसरा चरण : विषय चुनना और बॉडी चार्ट का खाका बनाना:

फैसिलिटेटर निर्देश दें कि :

सभी समूह अलग-अलग गोला बनाकर बैठें तथा आम सहमति से चर्चा के लिए चिन्हित मुद्दों में से *एक विषय क्रियाकलाप के लिए चुन* लें . फैसिलिटेटर यह सुनश्चित करें कि कोई भी चिन्हित महत्वपूर्ण विषय समूह चर्चा के बिना छूटे नहीं, कोई न कोई समूह उसे चर्चा के लिए ज़रूर चुन ले.

फिर प्रत्येक समूह अपने लिए एक बॉडी चार्ट बनाएं . बॉडी चार्ट बनाने के लिए हर समूह में कोई एक सहभागी स्वेच्छा से आगे आयें और समूह के बाकी लोग तीन चार्ट पेपर को जोड़ कर बनाये गए एक लम्बे चार्ट पेपर पर उनको पीठ के बल लिटा कर उनके शारीर का खाका खीचें , फिर उस खाका में आँख- नाक- मुह- बाल आदि बना कर उसे थोडा सजायें और एक मानव आकृति का रूप दें.इस तरह हर समूह का अपना बॉडी चार्ट का खाका तैयार हो जायेगा.

तीसरा चरण: समूह चर्चा करना

फैसिलिटेटर कहेंगे कि अब हर समूह ने जो भी एक विषय चर्चा हेतु चुना है उसपर नीचे बताये गए तरीके के आधार पर चर्चा करें :

उदहारण : अगर किसी समूह ने बाल विवाह विषय /मुद्दा चुना है तो) उस समूह के लिए चर्चा के लिए प्रश्न इस प्रकार होंगे:

क- क्यों होता है बाल विवाह / ....(कारण)
ख- क्या असर पड़ता है बाल विवाह (.........................) का बच्चों पर (नकारात्मक प्रभाव */दुष्परिणाम (मानसिक-शारीरिक ,विकासात्मक..)(असर)*

ग- कैसे बाल विवाह(...) बंद हों (बंद करने के उपाय)

घ- कौन करेगा बाल विवाह(...................................) बंद (इसमें किसकी -क्या भूमिका होगी)-(कौन करेगा/कराएगा)

नोट: ऊपर दिए गए उदहारण के अनुसार रिक्त स्थानों में अपनी समस्या /विषय लिख कर सभी ग्रुप चारो प्रश्न *पर* अपने -अपने *समूह में चर्चा करें*

चौथा चरण: *चर्चा के उपरांत सभी* बिंदुओं *को ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार बॉडी चार्ट में लिखना*

फैसिलिटेटर कहें कि सभी ग्रुप चर्चा के उपरांत निकल कर आई बातों को ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार बॉडी चार्ट में लिखें और उसके बाद बड़े समूह में प्रस्तुत करें.

- *चार्ट के ऊपर - मुद्दा/समस्या*
- *चेहरे पर* – पॉइंट क (क्यों)-कारण
- *शारीर के अन्दर* - पॉइंट ख (बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है)
- *शारीर के बाएँ तरफ* – पॉइंट ग *(कैसे यह समस्या दूर हो)*
- *शारीर के दायें तरफ* – पॉइंट घ*(कौन करेगा इस समस्या को दूर-किसकी क्या भूमिका होगी)*

पाँचवां चरण : समूहों द्वारा अपने बॉडी चार्टों का प्रस्तुतीकरण:

क्रियाकलाप के अंत में फैसिलिटेटर सभी समूहों को अपने अपने बॉडी चार्ट का प्रस्तुतीकरण करने को कहें . अगर समय न हो तो सभी समूह प्रस्तुतिकरण का बजाय अपने -अपने बॉडी चार्टों को दीवार पर भी लगा सकते हैं जिससे कि सभी उसे देख सकें.

4.सत्र का सार (समय-2 मिनट) :

सत्र के अंत में फैसिलिटेटर इस सत्र में हुई सारी गतिविधियों का सारांश सबके समक्ष प्रस्तुत करें जिससे कि सभी को एक बार फिर से बातें दुहरा जायें. साथ ही अगर किसी सहभागी का कोई सवाल हो तो उसका भी उत्तर दें .सारांश प्रस्तुत करने के लिए इस विषय पर निर्मित पोस्टर भी उपयोग में लाया जा सकता है.

***

पाँचवां सत्र: बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख व निगरानी

सत्र का उद्देश्य :

- गाँव /वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण से संबंधित सभी प्रयासों की उचित देख -रेख और निगरानी कैसे हो , इस बारे में बेहतर समझ विकसित कर ऐसे प्रयासों की देख - रेख और निगरानी के लिए समुचित रणनीति विकसित करना .

सत्र की कुल अवधि : 50 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सत्र सामग्री
1.	बाल संरक्षण और विकास के मुद्दों पर गाँव/वार्ड में देखरेख व निगरानी -समूह कार्य और प्रस्तुति *समूह कार्य की शुरुआत के लिए नीचे उल्लिखित संकेत दिया जा सकता है:* -स्कूलों में... उपस्थिति... मध्याह्न भोजन ..साफ़ -सफाई ,शौचालय ....शिक्षा का स्तर ... -गांव में बच्चों के लिए बिभिन्न सेवायें ... -मनोरंजन (खेल के मैदान) सुविधा - बाल विकास योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन -बच्चों के सार्वजनिक अनुकूल स्थान -आंगनवाड़ी का कार्य -परिवार व माता – पिता/अभिभावक की स्थिति -पीआरआई संस्थान का बाल संरक्षण से जुड़ाव आदि ज़रुरत पड़े तो वी/ डब्ल्यू सी.पी.सी. द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों के उदाहरण भी दिये जा सकते हैं निम्नलिखित आधार पर समूह चर्चा :::::	30 मिनट	- फिल्म 4- देखरेख और निगरानी -फ्लिप चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप(चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप

	- कहाँ ?? *अर्थात* बाल संरक्षण और विकास के मुद्दों पर गाँव/वार्ड में कहाँ – कहाँ ज़रूरत है देखरेख व निगरानी की ?? -कौन ?? कौन करेगा देखरेख व निगरानी - कैसे ?? प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए देखरेख व निगरानी कैसे किया जाना चाहिए... -कब ?? समय सीमा और आवृत्ति (कितनी बार) यदि संभव हो तो		
2.	**जादूगर की पहचान-** खेल	8 मिनट	
3.	फिल्म 4- देखरेख और निगरानी (यह फिल्म देखना)	9 मिनट	
4.	सत्र का सार	3 मिनट	

सत्र विवरण:

1. बाल संरक्षण और विकास के मुद्दों पर गाँव/वार्ड में देखरेख व निगरानी: समूह कार्य और प्रस्तुति (समय - **30** मिनट):

फैसिलिटेटर कहें कि इस इस सत्र में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि -बाल संरक्षण और विकास के मुद्दों पर गाँव/वार्ड में किन -किन क्षेत्रों में देखरेख व निगरानी की आवश्यकता है ?

इस विषय पर चर्चा का मकसद है गाँव/वार्ड में वी/ डब्ल्यू. सी.पी.सी का एक ऐसा देखरेख व निगरानी तंत्र विकसित करना जिससे कि गाँव/वार्ड में चल रहे बाल संरक्षण और विकास के कार्य/प्रयास सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें और गाँव/वार्ड में बच्चे सुरक्षित व संरक्षित हो बेहतर ढंग से विकास कर सकें.

पहला चरण: समूह विभाजन

समूह चर्चा के लिए फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को चार या पांच समूहों में विभाजित करें. समूह का निर्माण गाँव/वार्ड के आधार पर किया जाये तो बेहतर होगा क्योंकि एक ही गाँव/वार्ड के लोग एक समूह में रहेंगे तो वहाँ की स्थिति के आधार पर उन्हें विचार करने तथा निर्णय लेने में सहायता होगी ,परन्तु एक समूह में 7-8 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए .अगर एक गाँव/वार्ड में से 7-8 से अधिक सहभागी हो तो उनका दो समूह बना दिया जाना चाहिए .

दूसरा चरण : समूह चर्चा

समूह चर्चा के लिए निर्देश :समूह विभाजन के पश्चात फैसिलिटेटर सभी समूहों को अलग अलग गोले में बैठने को कहें और उसके बाद उन्हें बताएं कि समूह चर्चा हमें निम्नलिखित प्रश्नों पर ,नीचे दिए गए क्रम में करनी है और चर्चा से निकल कर आई बातों को एक चार्ट पेपर ,नीचे दिए गए चित्र अनुसार लिख कर प्रस्तुत करना है :-

समूह चर्चा हेतु प्रश्न:

- कहाँ ?? *अर्थात* बाल संरक्षण और विकास के मुद्दों पर गाँव/वार्ड में कहाँ – कहाँ देखरेख व निगरानी की ज़रूरत है??
- कौन ?? कौन करेगा देखरेख व निगरानी
- कैसे ?? प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए देखरेख व निगरानी कैसे किया जाना चाहिए...
- कब ?? समय सीमा और आवृत्ति (कितनी बार) यदि संभव हो तो

इस निर्देश के बाद फैसिलिटेटर सभी समूहों को समूह कार्य की शुरुआत करें को कहें और बताएं कि चर्चा के लिए 15 मिनट,चर्चा की बातों को चार्ट पेपर पर लिखने के लिए 8 मिनट और समूह कार्य प्रस्तुत करने के लिए कुल 7 मिनट (अर्थात प्रत्येक समूह को प्रस्तुत करने के लिए डेढ़ मिनट) का समय होगा

नोट: अगर समूह चर्चा अपेक्षित दिशा और गति में आगे नहीं बढ़ रही हो तो समूह चर्चा को उत्प्रेरित कर दिशा व गति देने के लिए नीचे फैसिलिटेटर द्वारा निम्नलिखित संकेत दिया जा सकता है:-

फैसिलिटेटर इसके कुछ उदहारण दे सकते हैं –जैसे नीचे लिखे सन्दर्भों में देखरेख व निगरानी होनी चाहिए :

- स्कूलों में... उपस्थिति... मध्याह्न भोजन ..साफ़ -सफाई ,शौचालय ....शिक्षा का स्तर ...
- गांव में बच्चों के लिए बिभिन्न सेवायें ...
- मनोरंजन (खेल के मैदान) सुविधा
- बाल विकास योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन
- बच्चों के सार्वजनिक अनुकूल स्थान
- आंगनवाड़ी का कार्य
- परिवार व माता – पिता/अभिभावक की स्थिति
- पंचायती राज (पी.आर.आई) संस्थान का बाल संरक्षण से जुड़ाव आदि

साथ ही ज़रुरत पड़े तो वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी. द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों के कुछ उदाहरण भी दिये फैसिलिटेटर द्वारा जा सकते हैं – जैसे :

- कोविड से बचाव हेतु टीका करण,

- विद्यालय फिर से खुलें ,
- बच्चे फिर से विद्यालय जाने लगें,
- मिड-डे मील (मध्यान भोजन) कार्यक्रम फिर से शुरू हो,
- लॉक डाउन के दौरान मिलने वाला मिड डे मील (मध्यान भोजन) का बकाया पैसा बच्चों के खाते में जमा (ट्रान्सफर) हो),
- बंद पड़े विद्यालयों को पुनः खोलने से पहले उनकी ठीक से सफाई हो,
- बाहर से आये परिवारों के बच्चों का भी स्कूल में नामांकन हो आदि.....

तीसरा चरण : समूह चर्चा से निकल कर आई बातों को एक चार्ट पेपर पर लिखना

चर्चा से निकल कर आई बातों को सभी समूह एक चार्ट पेपर पर ,नीचे दिए गए चित्र के अनुसार लिखेंगे .

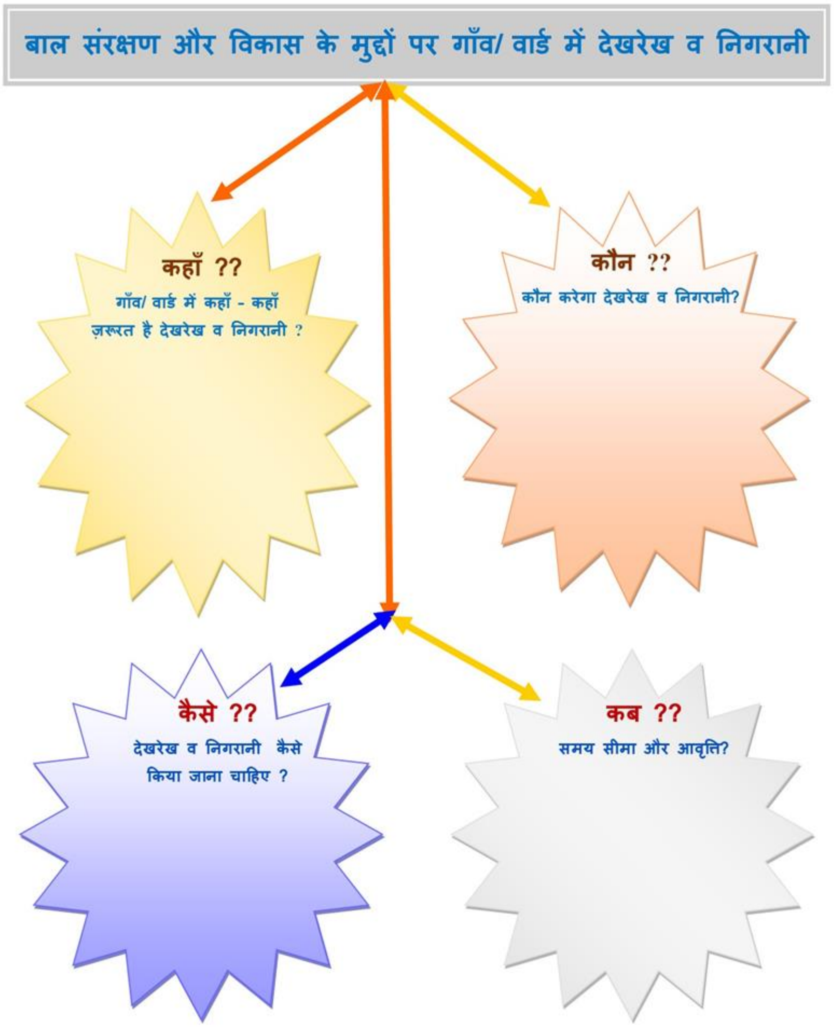

चौथा चरण : समूहों द्वारा अपने चार्ट का प्रस्तुतीकरण

क्रियाकलाप के अंत में फैसिलिटेटर सभी समूहों को अपने-अपने चार्ट का प्रस्तुतीकरण करने को कहें . अगर समय न हो तो सभी समूह प्रस्तुतिकरण का बजाय अपने -अपने चार्टों को दीवार पर भी लगा सकते हैं जिससे कि सभी उसे देख सकें.

2. ‘**जादूगर की पहचान**’ खेल खेलना (**समय-**8 मिनट):

निर्देश: फैसिलिटेटर कहें कि ‘जादूगर की पहचान’ खेल खेलने के लिए सभी सहभागियों को एक बड़े गोले में खड़ा होना होगा.उसके बाद सभी सहभागियों में से एक को जमूरा बनाकर हॉल से बाहर भेज दिया जायेगा, और बाकी बचे सभी सहभागी अपने में से किसी एक को जादूगर चुनेंगे .

फैसिलिटेटर के स्टार्ट कहते ही सभी को गोले में दाहिने से बायें घूमते हुए जादूगर के हरकत की नक़ल करनी होगी,जादूगर कुछ-कुछ पलों में अपनी हरकत बदलता रहेगा और सभी को बिना उसकी ओर सीधे देखे (ताकि जमूरा जादूगर को पहचान /पकड़ न ले) उसकी नक़ल करना जरी रखना होगा. इस बात का पता कि कौन जादूगर है या किसकी सब नक़ल कर रहे हैं ,जमूरे (बाहर भेजे गए व्यक्ति) को हरगिज़ नहीं लगने देना होगा, न हाव –भाव से, न इशारे से, न बोलकर. इस बात को गुप्त रखना सभी सहभागियों की जिम्मेदारी होगी.

खेल आरम्भ करने से पहले फैसिलिटेटर बाहर जा कर जमूरे को बता आयेंगे कि उसे जब हॉल में वापस बुलाया जाये तो उसे अन्दर आ कर जादूगर (अर्थात उस व्यक्ति की पहचान करनी है जिसकी नक़ल सभी कर रहे हैं,या जो सबको निर्देश दे रहा है) .

खेल का आरम्भ: जब हॉल के भीतर के लोग अपना जादूगर चुन लें तो फैसिलिटेटर स्टार्ट कहेगा और सभी लोग गोले में दाहिने से बायें घूमते हुए जादूगर के हरकत की नक़ल करना आरम्भ कर देंगे.फिर जमूरे को अन्दर आने को कहा जायेगा . जमूरा पूरी कोशिश करेगा यह पता लगाने की ,कि कौन जादूगर है.अगर वह पता लगा लेता है तो खेल का एक राउंड(चक्र) समाप्त हो जायेगा. और फिर किसी व्यक्ति को जमूरा और फिर किसी को जादूगर बनाया जायेगा और खेल का दूसरा राउंड(चक्र) शुरू हो जायेगा और ऐसे ही जब तक समय हो इस खेल को चलाया जा सकता है.अगर कोई जमूरा ,किसी जादूगर का पता 2-3 मिनट में भी नहीं लगा पता है तो उस जादूगर को सफल माना जायेगा और खेल का अगला चक्र आरम्भ कर दिया जायेगा (अर्थात नया जादूगर, नया जमूरा और खेल का अगला राउंड . अगर जमूरे ने भी 1-2 मिनट में ही जादूगर को पकड़ लिया तो उसे भी सफल जमूरा मना जायेगा.

खेल से सन्देश: फैसिलिटेटर बताएं कि -अगर हम अपने आस पास बारीक और पैनी निगाह रखेंगे तो हम बहुत सी अनहोनी टाल सकते हैं , बहुत से लोगों को भटकने से बचा सकते है, बहुत से गलत को रोक,उसे रास्ते पर

ला सकते हैं.और अपने विषय की बात करें तो बच्चों के लिए सफल सुरक्षा तंत्र विकसित करने में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं. बस इसके लिए ज़रुरत है कि हम अपने दिमाग,आँख-कान को सजग रखें. सबकी नज़र बचा कर नज़र रखना भी एक कला है –इससे हम गलत करने वालों को प्रमाण के साथ पकड़ सकते हैं और बच्चों ही क्या किसी के अधिकारों का उलंघन रोक सकते हैं .

3. फिल्म देखना : फिल्म 4- देखरेख और निगरानी **(समय-**9 मिनट): फैसिलिटेटर इस फिल्म को एलसीडी प्रोजेक्टर की सहायता से स्क्रीन (परदे) पर दिखायेंगे और इसके बाद इस बात पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि इस फिल्म से उन्हें क्या सन्देश मिला, और उनके गाँव या वार्ड में बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में कैसे देखरेख व निगरानी तंत्र मज़बूत किया जा सकता है .

4.सत्र का सार (समय-3 मिनट):

सत्र के अंत में फैसिलिटेटर इस सत्र में हुई सारी गतिविधियों का सारांश सबके समक्ष प्रस्तुत करें जिससे कि सभी को एक बार फिर से सभी बातें दुहरा जायें. साथ ही अगर किसी सहभागी का कोई सवाल हो तो उसका भी फैसिलिटेटर उत्तर दें . सारांश प्रस्तुत करने के लिए इस विषय पर निर्मित पोस्टर भी उपयोग में लाया जा सकता है.

***

छठां सत्र: सर्किल (सबल बनाने वाला घेरा): इसका उद्देश्य और प्रक्रियाएं

सत्र का उद्देश्य :

- सर्किल/घेरा के बारे में जानना तथा इस प्रक्रिया को कर के समझना ताकि इसे बच्चों के साथ प्रयोग में लाया जा सके

सत्र की कुल अवधि : 50 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सत्र सामग्री
1.	फिल्म-**5** बच्चों के साथ सर्किल (यह फिल्म देखना)	8 मिनट	- फिल्म-5 बच्चों के साथ सर्किल -फ्लिप चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप(चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप - बहुत बड़े आकार के बैलून (20) - सर्किल पोस्टर
2.	सर्किल/घेरा – **इसका** उद्देश्य और प्रक्रियाएं - खुली चर्चा- (सर्किल पोस्टर के सहयोग से)	10 मिनट	
3.	रोल प्ले/ नाटक - बाल अधिकार सर्किल/ घेरा क्रियाकलाप का रोले प्ले - (सर्किल/ घेरा की प्रक्रिया को समझने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए गतिविधि)	23 मिनट	
4.	-ब्लो द **बैलून** खेल (सब मिल उड़ाओ एक गुब्बारा) खेल-समूहिक कारवाई में कितनी ताकत यह समझने के लिए)	7 मिनट	
5.	सत्र का सार	2 मिनट	

सत्र विवरण:

1. फिल्म देखना-फिल्म-**5** बच्चों के साथ सर्किल:समय 8 मिनट

फैसिलिटेटर कहें कि : आईये हम इस सत्र की शुरुआत एक फिल्म से करते हैं. फिल्म सर्किल अर्थात घेरा और इसकी प्रक्रिया के बारे में है . ध्यान से देखिये इस फिल्म को ,क्यों कि इसके बाद हम सर्किल के प्रक्रिया पर चर्चा

करेंगे तथा सर्किल की प्रक्रिया को समूह कार्य के दौरान कर के भी देखेंगे. इसलिए इस फिल्म के एक-एक चरण को ध्यान से देखना बहुत ही ज़रूरी है.आईये देखते हैं यह फिल्म:

2.सर्किल/ घेरा – इसका उद्देश्य और प्रक्रियाएं: खुली चर्चा : समय **10** मिनट

फिल्म दिखाने के उपरांत फैसिलिटेटर बड़े समूह में खुली चर्चा करें तथा उसमें सबसे पूछें कि :

-सबने क्या समझा इस प्रक्रिया के बारे में ?

-यह प्रक्रिया क्यों? उद्देश्य क्या है इसका ?

-इसमें क्या अच्छा लगा और क्यों?

- इसे और बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव हो तो दें?

फैसिलिटेटर सहभागियों की बातों को एक फ्लिप चार्ट पर दर्ज करते जायें ताकि सहभागियों से जो बातें छूट जायें उसे फैसिलिटेटर जोड़ सकें और सत्र का सार बताते समय भी इसका उपयोग हो सके ,

जब सहभागियों की प्रतिक्रिया आ जाये उसके बाद फैसिलिटेटर सर्किल की आवश्यकता,महत्व और प्रक्रिया 'के बारे में संलग्न पोस्टर की सहायता से इस बारे में कुछ और जानकारी प्रदान करें -:

फैसिलिटेटर बतायें कि सर्किल का उद्देश्य है :

- मानवीय संबंधों को पुनर्स्थापित **करना ,**
- बच्चों को बोलने के लिए एक सुरक्षित स्थान **उपलब्ध करना ,**
- बच्चों को अपनी भावनाओं को साझा **करने का अवसर देना ,**
- बच्चों को बिभिन्न **विषयों पर** चर्चा **करने ,** सहमत -असहमत **होने का माहौल देना , तथा**
- बच्चों को उनसे संबंधित किसी भी विषय /मुद्दे पर विचार/चर्चा **करने का मौका देना है .**

इसके साथ ही फैसिलिटेटर सर्किल का मौलिक नियम बताएं तथा सेंट्रल पीस , टॉकिंग पीस तथा सर्किल कीपर का अर्थ समझाएं. साथ ही सर्किल में चर्चा किये जाने लायक कुछ विषयों के उदहरण भी दे .

3. रोल प्ले/ नाटक : बाल अधिकार सर्किल/ घेरा क्रियाकलाप का रोले प्ले/नाटक - समय 23 मिनट

फैसिलिटेटर कहें कि अब तक हमनें सर्किल के बारे में फिल्म देखी तथा इसके बारे में विस्तार से चर्चा की और जाना कि सर्किल का उद्देश्य क्या है ,इसके मौलिक नियम क्या हैं, सेंट्रल पीस , टॉकिंग पीस तथा सर्किल कीपर का अर्थ क्या है तथा कैसे इसके द्वारा जीवन के अच्छे और चुनौती भरे पलों को साझा क्या जा सकता है और कैसे यह बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में मदद पहुंचाती है.

फैसिलिटेटर कहें कि आईये अब हम इस प्रक्रिया को एक नाटक या रोले प्ले के द्वारा छोटे-छोटे समूहों में कर के देखते हैं, ताकि जब हम बच्चों के साथ इसे करें तो पूरी दक्षता के साथ बिना किसी झिझक के साथ कर पाएं जिससे कि इसका मकसद पूरा हो.

<u>पहला चरण: समूह विभाजन</u>

फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को पांच समूहों में विभाजित करें . प्रतिभागियों से एक से पांच तक की गिनती गिनवा कर पांच मिश्रित समूह बनाएं (एक संख्या वाले लोग एक समूह में रहेंगे).एक समूह में अधिक से अधिक 7-8 लोग ही हों तो बेहतर होगा. मिश्रित समूह बनाने से सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे को जानने और उनसे मेल-जोल बढ़ने का मौका मिलता है जिससे कि आगे चल कर सामूहिक कारवाई करने में मदद भी मिलती है .

<u>दूसरा चरण : नाटक /रोले प्ले तैयार करना</u>

नाटक /रोले प्ले के लिए निर्देश :समूह विभाजन के पश्चात फैसिलिटेटर सभी समूहों को अलग-अलग गोले में बैठने को कहें और उसके बाद उन्हें बताएं कि सभी समूह नाटक /रोल-प्ले में निम्नलिखित चीजें संक्षेप में अवश्य शामिल करें :

- सर्किल का उद्देश्य तथा मौलिक नियम
- सेंट्रल पीस,टॉकिंग पीस ,सर्किल कीपर
- जीवन के अच्छे और चुनौती भरे पलों को साझा करना तथा किसी बड़ी चुनौती/समस्या की पहचान कर उसे हल करने के साझा प्रयास दिखाना ,तथा भविष्य में चर्चा हेतु अन्य महत्वपूर्ण विषयों/मुद्दों की पहचान करना

नोट: समय सीमा: नाटक तैयार करने हेतु 8 मिनट का समय होगा तथा सभी समूहों द्वारा नाटक प्रस्तुत करने का समय- 3 मिनट प्रति समूह होगा .

इस निर्देश के बाद फैसिलिटेटर सभी समूहों अलग-अलग घेरे में बैठ 8 मिनट के अन्दर समूह में चर्चा कर नाटक तैयार करने को कहें.

<u>तीसरा चरण : नाटक /रोले प्ले का प्रदर्शन</u>

फैसिलिटेटर नाटक /रोले प्ले तैयार हो जाने बाद बड़े गोले में सभी के समक्ष एक एक कर सभी समूहों को अपना रोले प्ले /नाटक दिखाने को आमंत्रित करेंगे .

नाटक /रोले प्ले करने के बाद अगर कोई सहभागी किसी रोले प्ले/नाटक पर कुछ कहना चाहे तो उसे संक्षेप में अपनी बात रखने का मौका दें.

4. ब्लो द **बैलून खेल** (सब मिल उड़ाओ एक गुब्बारा) खेल :समय 7 मिनट

फैसिलिटेटर कहेंगे कि आईये अब हम एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है - ब्लो द बैलून खेल (सब मिल उड़ाओ एक गुब्बारा). यह खेल समूहिक कारवाई की ताकत समझाने के मकसद से कराया जा रहा है.

<u>खेल के लिए समूह विभाजन</u>

फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को चार समूहों में विभाजित करें . प्रतिभागियों से एक से चार तक की गिनती गिनवा कर चार मिश्रित समूह बनाएं (एक संख्या वाले लोग एक समूह में रहेंगे).एक समूह में अधिक से अधिक 10 लोग ही हों तो बेहतर होगा.

फैसिलिटेटर के लिए निर्देश :

-खेल से पहले 8 बड़े बड़े अकार के बैलून/ गुब्बारे में पूरी तरह से हवा भर कर रख लें.

-उसके बाद प्रत्येक समूह को हॉल के अलग-अलग कोने में *'छोटी गोलाई में'* खड़ा होने को कहें,क्यों कि अगर गोला बड़ा बनाया जायेगा तो इस खेल को खेलने में दिक्कत होगी. (अगर कमरा छोटा है तो एक बार में दो समूहों को खेलने को कहें)

- हर समूह के लिए एक-एक रेफरी चुन लें और उसे एक-एक भरा हुआ गुब्बारा दे दें और कहें कि वह अपने समूह के गोले का बाहर खड़ा रहे और देखे कि समूह के सभी लोग खेल के दौरान नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, अगर कोई समूह नियन तोड़ेगा तो उसे खेल से बाहर कर दिया जायेगा , या खेल का वह राउंड अमान्य कर दिया जायेगा .

-खेल के नियम बताएं ,जो कि इस प्रकार है :

- फैसिलिटेटर जब स्टार्ट कहे तो सभी रेफरियों को अपने बैलून/ गुब्बारे को अपने समूह के बीच में हवा में ऊंचा उछाल देना है.
- उसके बाद समूह के सभी सदस्यों को मिलकर 'अपने मुंह की हवा' के जोर से बैलून/ गुब्बारे को ज़मीन पर गिरने नहीं देना है, अर्थात हवा में ही ऊँचा बनाये रखना है.
- बैलून/ गुब्बारे को हवा में ऊँचा बनाये रखने के लिए कोई भी सहभागी बैलून/ गुब्बारे को अपने शारीर के किसी भी अंग से न छूयें /न किसी को छूने दें , बस मुंह से हवा निकाल कर इसे ज़मीन से अधिक से अधिक ऊपर बनाये रखने की कोशिश करें .
- अगर किसी सहभागी ने बैलून/ गुब्बारे को अपने शरीर से छू दिया तो उसका पूरा समूह ही खेल से बाहर हो जायेगा .
- जो समूह सबसे अधिक देर अपने बैलून/ गुब्बारे को हवा में रख पायेगा (बिना शारीर से छुये हुए) तो वह समूह प्रथम घोषित किया जायेगा.

खेल का आरम्भ:

-जब फैसिलिटेटर स्टार्ट कहें , तभी सभी रेफ़री अपने-अपने हाथों में लिए बैलून/ गुब्बारे को अपने समूह के बीच हवा में ऊँचा उछाल दें, और ध्यान रखें कि उनका समूह सभी नियमों का पालन कर रहा है.

- अगर किसी सहभागी ने बैलून/ गुब्बारे को अपने शरीर से छू दिया तो रेफ़री पूरे समूह को आउट अर्थात खेल से बाहर करें .
- फैसिलिटेटर भी खेल के नियमों के पालन पर अपनी नज़र रखें.
- इस प्रकार सही ढंग से खेलते हुए जो समूह सबसे अधिक देर अपने बैलून/ गुब्बारे को हवा में रख पायेगा तो वह समूह प्रथम घोषित किया जायेगा.

सीख: सामूहिक कारवाई में बहुत शक्ति है, मिल कर हम सभी अपने साँसों के जोर से भी गुब्बारे (बच्चों के अधिकार रुपी गुब्बारे) को ऊँचा बनाये रख सकते हैं.

5.सत्र का सार : समय 2 मिनट

अंत में फैसिलिटेटर इस सत्र में हुई सारी गतिविधियों का सारांश सबके समक्ष प्रस्तुत करें जिससे कि सभी को एक बार फिर से सभी बातें दुहरा जायें. साथ ही अगर किसी सहभागी का कोई सवाल हो तो उसका भी फैसिलिटेटर उत्तर दें . सारांश प्रस्तुत करने के लिए इस विषय पर निर्मित पोस्टर(सर्कल्स –सबल बनाने वाला घेरा) भी उपयोग में लाया जा सकता है.

***

सातवां सत्र: वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना

सत्र का उद्देश्य :

- कोरोना काल में गाँव/वार्ड में बाल संरक्षण गतिविधियों/प्रयासों के लिए व्यक्तिगत/समूहिक जिम्मेदारी की समझ विकसित करना
- कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की एक कार्य योजना विकसित करना

सत्र की कुल अवधि : 20 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सत्र सामग्री
1.	वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की बाल संरक्षण कार्य योजना (कोरोना काल के लिए) : समूह कार्य -वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों की एक सूची बनाना -किस कार्य के लिए कौन व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिम्मेवार होगा -वह कार्य कितने दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है.	13 मिनट	-फ्लिप चार्ट और मार्कर पेन -ऊन का दो बड़ा गोला(अगर ऊन का गोला न मिले तो किसी मोटे धागे या सुतली का गोला)
2.	समापन खेल -बाल सुरक्षा जाल खेल (**child safety net game**) :खेल के अंत में सभी भागीदार एक बाल संरक्षण जाल से जुड़ जाएंगे और इसी के साथ कार्यशाला का समापन हो जाएगा	7 मिनट	

सत्र विवरण:

1. कार्य योजना : समूह कार्य (समय-13 मिनट)

पहला चरण :समूह विभाजन

समूह चर्चा के लिए फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को चार या पांच समूहों में विभाजित करें. समूह का निर्माण गाँव/वार्ड के आधार पर किया जाये तो बेहतर होगा क्योंकि एक ही गाँव/वार्ड के लोग एक समूह में रहेंगे तो वहाँ की स्थिति के आधार पर उन्हें योजना बनाने में सहायता होगी ,परन्तु एक समूह में 7-8 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए. अगर एक गाँव/वार्ड से 7-8 से अधिक सहभागी हो तो उनका दो समूह बना दिया जाना चाहिए

दूसरा चरण : समूह चर्चा

समूह चर्चा के लिए निर्देश :समूह विभाजन के पश्चात फैसिलिटेटर सभी समूहों को अलग अलग गोले में बैठने को कहें और उसके बाद बताएं कि उन्हें समूह चर्चा निम्नलिखित विषयों पर करनी है. चर्चा से निकल कर आई बातों को एक चार्ट पेपर पर नीचे दिए गए चित्र के अनुसार लिख कर प्रस्तुत करना है -:

समूह चर्चा हेतु विषय :

फैसिलिटेटर कहें कि सभी समूहों को नीचे दिए गए विषयों पर चर्चा कर वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना विकसित करनी है :

पहला विषय: वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों की एक सूची बनाना (कार्य सूची). यह सूची पिछले सत्रों में हुई क्रियाकलापों के आधार पर बनायीं जाये *(खास कर चौथा सत्र: कोरोना काल में बच्चों से जुडे कुछ ज्वलंत मुद्दे और पाँचवां सत्र : बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख व निगरानी के आधार पर(. साथ ही हर समूह सर्किल के क्रियाकलाप को भी अपनी कार्य योजना में अवश्य शामिल करे क्यों कि यह बच्चों की बात सुनने तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है* .

दूसरा विषय: -*किस कार्य के लिए कौन सा व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिम्मेवार होगा(जिम्मेदारी)*

तीसरा विषय*: वह कार्य कितने दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है (समय सीमा).*

वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की बाल संरक्षण कार्य योजना (कोरोना काल के लिए)			
क्रम संख्या	**कार्य** (वी/डब्ल्यू सी.पी.सी द्वारा कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों की सूची)	**जिम्मेदारी** (इस कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्ति समूह)	**समय सीमा** (कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा)
1.			
2.			

3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
समूह के सभी सदस्यों के नाम:			

समूह चर्चा : फैसिलिटेटर सभी समूहों से कहें कि वे ऊपर बताये गए विषय पर चर्चा आरम्भ करें और चर्चा से निकल कर आई बातों को एक चार्ट पेपर पर दिए गए चित्र के अनुसार लिखें.

समूह प्रस्तुतीकरण :फैसिलिटेटर समूह कार्य हो जाने के उपरांत सभी समूहों को अपनी कार्य योजना को दीवार पर लगा कर प्रदर्शित करने को कहें . अगर समय हो तो फैसिलिटेटर प्रत्येक समूह को अपनी योजना सभी सहभागियों के समक्ष प्रस्तुत कर ,उस समूह की योजना पर सबके विचार /सुझाव भी आमंत्रित कर सकते हैं.

2. समापन खेल-बाल सुरक्षा जाल खेल (**child safety net game**) : समय- 7 मिनट

सामग्री: इस खेल के लिए ऊन के दो बड़े गोले चाहिए, अगर ऊन का गोला न मिले तो किसी मोटे धागे या सुतली के गोले से भी काम चलाया जा सकता है.

खेल की प्रक्रिया:

फैसिलिटेटर बताएं कि खेल के शुरुआत में वे किसी एक सहभागी के हाथ में ऊन का एक गोला देंगे, उस सहभागी को ऊन के धागे को एक हाथ में लपेट कर दो बातें अति संक्षेप में बोलनी है : पहली बात - वे कार्यशाला से मिली कोई एक सीख बताएं और दूसरी बात - वे अपने गाँव/वार्ड में बाल संरक्षण हेतु एक वादा करें .

इसके बाद वह सहभागी ऊन के गोले को अपने सामने के भागीदार के पास उसका नाम लेते हुए फेंकें.

वह नामित व्यक्ति उस ऊन के गोले को कैच करेगा (पकड़ेगा)और फिर वह भागीदार भी ऊन के धागे को अपने एक हाथ में लपेट कर एक सीख बताने और एक वादा करने के बाद अपने सामने वाले भागीदार का नाम लेते हुए ऊन का गोला उसकी तरफ फेकेगा . यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सभी भागीदारों की बारी न आ जाए ,अर्थात सभी भागीदार एक धागे से बंध, एक सीख न बता दें और एक वादा न कर लें.

खेल की शुरुआत :

फैसिलिटेटर ऊन क़ा गोला एक भागीदार को देगा और उसे दिए गए निर्देश के अनुसार खेल आरम्भ करने को कहेगा. यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक सभी भागीदारों की बारी न आ जाए , अर्थात सभी भागीदार एक धागे से बंध, एक सीख न बता दें और एक वादा न कर लें. इस परकार खेल के अंत में सभी भागीदार एक बाल संरक्षण जाल से जुड़ जाएंगे और अपने गाँव/वार्ड के बच्चों के संरक्षण के लिए एक- एक वादा कर जायेंगे– इसी वादे के साथ कार्यशाला का समापन हो जाएगा ।

***

पहला सत्र :प्रशिक्षण का उद्देश्य तथा परिचय

सत्र का उद्देश्य:

- प्रशिक्षण की ज़रुरत और उद्देश्य पर चर्चा
- प्रतिभागियों का परिचय
- संकोच दूर करना

सत्र की कुल अवधि : 15 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा (आयोजक/ प्रशिक्षक/फैसिलिटेटर द्वारा)	7 मिनट	-अनुरूपण अभ्यास / उर्जावर्धक खेल का विवरण
2	परिचय/अनुरूपण अभ्यास (जोड़ी-परिचय खेल)	8 मिनट	

सत्र विवरण :

कार्यशाला के उद्देश्य पर चर्चा (समय- 7 मिनट) : सत्र के आरम्भ में आयोजक या प्रशिक्षक/फैसिलिटेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर संक्षिप्त रूप में अपनी बात रखें . अपनी बात स्थानीय उदाहरणों का सहारा लेते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर रखें :-

- कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान बच्चों और उनके परिवारों की क्या स्थिति हुई,
- कैसे परिवारों ने अपने संबंधी खोये
- कैसे लोग बेरोजगार हुए
- कैसे रोज़गार खोने के कारण उन लोगो को जो बाहर कार्य करते थे (प्रवासी श्रमिक), अपने गांवों की ओर पैदल ही तमाम जोखिमों का सामना करते हुए वापस लौटना पड़ा
- कैसे खास कर दूसरी लहर में ऑक्सीजन,बेड और दवा की किल्लत के कारण परिवारों को अपने सदस्य खोने पड़े
- इन सब का सबसे बुरा असर बच्चों पर कैसे पड़ा

- बच्चों की सेहत (मानसिक-शारीरिक),उनकी शिक्षा, खान-पान,मनोरंजन सभी किस तरह प्रभावित हुई .
- जिन बच्चों ने अपने माता-पिता में से कोई एक जाना खोया या फिर दोनों जने खोये उनके जीवन पर इसका प्रभाव .
- बाल विवाह, बाल मजदूरी, बच्चों को गैर कानूनी रूप से गोद लेने की घटनाएं कितनी बढीं , और अगर बच्चों के व्यापार की भी कुछ सामने आई तो उनकी भी चर्चा .

यह बताएं कि इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है ताकि गाँव या वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण के मुद्दों पर मिल क्या किया जाये, इस पर समझ विकसित हो , तथा ग्राम/वार्ड स्तर की बाल संरक्षण समिति इन मुद्दों पर कैसे हस्तक्षेप /कारवाई करे ताकि वहां बच्चों के अधिकारों का हनन न हो, बच्चे सुरक्षित और संरक्षित रहे और उन्हें समुचित विकास के सभी अवसर मिलें.

यह बताएं कि यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है , और हमें आशा है कि कार्यशाला के अंत तक सभी भागीदार बाल संरक्षण के मुद्दे पर आने वाली चुनौतियों की पहचान कर उसके निराकरण के समुदाय आधारित तौर तरीके समझ-बूझ और अपना पायेंगे.

परिचय/अनुरूपण अभ्यास (समय-8 मिनट):

फैसिलिटेटर सभी को सबसे पहले एक गोला बनाकर खड़े होने को बोलेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आईये प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने से पहले हम सभी एक-दूसरे को थोडा जान लें.

निर्देश : फैसिलिटेटर कहेंगे कि सभी सहभागियों को अपना परिचय इस प्रकार देना है:-

सभी को अपने नाम से पहले अक्षर से शुरू होने वाला एक विशेषण (adjective) अपने नाम के पूर्व लगा कर अपना नाम बताना है ,इसके बाद बताना है कि वे कहाँ से आयें हैं , क्या करते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है. उदाहरण- मैं कर्मठ कृष्णा हूँ (या मैं दोस्त दीपक हूँ, मैं सलोनी सीता हूँ, मैं नटखट नीलम हूँ ....आदि), मैं रामपुर में रहता हूँ, गाँव अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूँ, मुझे सबसे गाना गाना सबसे पसंद है .

उपरोक्त निर्देश देने के बाद फैसिलिटेटर सभी को बताये गए तरीके से बारी-बारी से अपना परिचय देने को कहेंगे.

***

दूसरा सत्र: ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य तथा कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक

सत्र का उद्देश्य :

- कोरोना लाकडाउन का बच्चों (और समुदाय) पर असर की पहचान कर यह मालूम करना कि इन मुद्दों पर हम सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं .
- यह पता लगाना कि ग्राम/वार्ड स्तर के बाल संरक्षण प्रयासों में कौन-कौन से लोग मददगार हो सकते हैं.
- ग्राम/ वार्ड स्तर बाल सरक्षण समिति के गठन , मार्गदर्शक सिद्धांतों, मूल्यों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों पर चर्चा करना

सत्र की कुल अवधि : 45 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1.	कोरोना वृक्ष अभ्यास : इसके द्वारा *कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण बच्चों पर आई मुश्किलों या बिपतियों की पहचान करना,* उन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं *तथा इन मुश्किलों को हल करने में कौन-कौन से लोग मददगार हो सकते हैं इसका पता लगाना .*	20 मिनट	-फ्लिप चार्ट पेपर/चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप (चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप - कोरोना वृक्ष का बड़ा चित्र-चार्ट पेपर पर (5 कापी) - फिल्म -1 (बाल सरक्षण समिति का गठन) - फिल्म 2- : 'कोरोना काल में परिवार और समाज के सहायक'
2.	फिल्म -1-बाल सरक्षण समिति का गठन-(यह फिल्म पूरी देखना) -7 मिनट फिल्म : **2**-'कोरोना काल में परिवार और समाज के सहायक ' (इस फिल्म का बीच बीच से कुछ हिस्सा देखना-3 मिनट	10 मिनट	
3.	बाल सरक्षण समिति के गठन एवं कार्यों के बारे में संक्षेप में चर्चा (खास कर मार्गदर्शक सिद्धांत, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां आदि)	10 मिनट	

4.	भूतनाथ खेल	5 मिनट	- बाल सरक्षण समिति के गठन एवं कार्यों के बारे में पोस्टर - भूतनाथ खेल का विवरण

सत्र विवरण :

1.कोरोना वृक्ष अभ्यास (समय 20 मिनट):

फैसिलिटेटर सभी सहभागियों को कहें कि अब हम कोरोना वृक्ष अभ्यास करेंगे, जिसके द्वारा हम *कोरोना विश्वव्यापी महामारी का बच्चों (और समुदाय) पर असर- अर्थात बच्चों (और समुदाय) पर आई मुश्किलों या बिपत्तियों की पहचान करेंगे तथा उन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं यह मालूम करेंगे और कौन -कौन से लोग इस प्रयास में मददगार हो सकते हैं इसका पता लगायेंगे ताकि सभी बच्चे संरक्षित रहें .*

समूह विभाजन: फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को चार या पांच समूहों में विभाजित करें. समूह का निर्माण गाँव/वार्ड के आधार पर किया जा सकता है या फिर प्रतिभागियों से एक से पांच तक की गिनती गिनवा कर मिश्रित समूह भी बनाया जा सकता है(एक संख्या वाले लोग एक समूह में रहेंगे), पर अच्छा होगा कि गाँव/वार्ड के लोग एक समूह में रहें जिससे कि वहाँ के मुद्दों पर सामने लाने मे सहायता होगी . एक समूह में अधिक से अधिक 7-8 लोग ही हों तो बेहतर होगा.

<u>अभ्यास:</u> फैसिलिटेटर हर समूह में एक/दो चार्ट पेपर और कुछ मार्कर पेन दे देंगे और फिर कहेंगे कि सभी समूह एक-एक कोरोना वृक्ष का खाका /चित्र चार्ट पेपर में बनायें (नीचे दिए गए चित्र के सामान).

फिर निम्न लिखित विषय पर समूह चर्चा करें:

1.कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण बच्चों (और समुदाय) पर किस प्रकार की मुश्किलें /बिपत्तियाँ / समस्याएँ आयीं)?
2.इन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं ?
3.कौन -कौन से लोग इन मुश्किलों का हल निकलने में मददगार हो सकते हैं?

समूह चर्चा के बाद :

-मुश्किलें/बिपत्तियाँ/समस्याएँ जो सामने आयीं (कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण)- उन्हें वृक्ष की अलग अलग शाखाओं(डालियों) के अन्दर लिखें .

-इन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते- यह शाखाओं के बाहर लिखें (हर मुश्किल/बिपत्ति/समस्या का हल उसके सामनें लिखें) .

- कौन -कौन से लोग इन मुश्किलों का हल निकलने में मददगार हो सकते हैं – जड़ वाले भाग में अलग अलग जड़ों के पास लिखें

जब यह अभ्यास पूरा हो जाये तो हर समूह अपने अपने कोरोना वृक्ष चार्ट को दीवार पर लगा दे जिससे कि सभी समूह एक दूसरे के समूह चर्चा परिणामों से अवगत हो सकें .

<u>समय विभाजन</u> : 2 मिनट समझाने हेतु, 13 मिनट समूह चर्चा हेतु, 5 मिनट चार्ट पेपर पर लिखने व वृक्ष चार्ट दीवार पर प्रदर्शित करने हेतु .

2.फिल्में देखना - (समय 10 मिनट)

फिल्म1- - बाल सरक्षण समिति का गठन यह) फिल्म पूरी देखना7- (मिनट में
फिल्म 2-- कोरोना काल में परिवार और समाज के सहायक (इस फिल्म का बीच बीच से कुछ हिस्सा देखना -3 मिनट में)

फैसिलिटेटर इस दोनों फिल्मों को एलसीडी प्रोजेक्टर की सहायता से स्क्रीन (परदे) पर दिखायें. फिल्म 1 को पूरा दिखाएं और फिल्म 2 का बीच बीच से कुछ हिस्सा दिखाएं जहाँ वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी. के सदस्य लोगों को कोरोना के कहर से बचाने में एक महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका में हों .

3.बाल सरक्षण समिति के गठन एवं कार्यों के बारे में संक्षिप्त चर्चा (समय 10 मिनट)::

फैसिलिटेटर कहें कि अभी पिछले सत्र में आपने इस विषय पर एक फिल्म देखी , अब हम आपके सामने इसी विषय पर एक पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन/ प्रस्तुत करने जा रहे हैं ताकि आप सभी को बाल सरक्षण समिति के गठन के मार्गदर्शक सिद्धांत, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां और स्पष्ट हो जायें .

‘बाल सरक्षण समिति के गठन एवं कार्य’ विषय पर फैसिलिटेटर द्वारा एक पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन/ प्रस्तुतीकरण :

फैसिलिटेटर अनुलग्नक में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न बिंदुओं पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना कर प्रतिभागियों को दिखाएं और इस विषय पर उनका कोई सवाल हो तो उसका उत्तर दें :

- *बाल सरक्षण समिति के मार्गदर्शक सिद्धांत*
- *बाल सरक्षण समिति की गठन प्रक्रिया*
- *बाल सरक्षण समिति का उद्देश्य*
- *बाल सरक्षण समिति के सदस्यों का चयन मानदंड*
- *बाल सरक्षण समिति की संरचना, तथा*
- *बाल सरक्षण समिति की जिम्मेदारियां एवं कार्य*

इस विषय पर दिए अनुलग्नक का प्रिंट आउट भी सभी सहभागियों को दिया जाये तो बेहतर होगा .

4. भूतनाथ खेल :

निर्देश: फैसिलिटेटर सभी सहभागियों को एक बड़ा गोला बनाकर खड़ा होने को कहेंगे । फिर वे सहभागियों में से ही किसी एक व्यक्ति को भूत बनने को कहेंगे. इसके बाद फैसिलिटेटर सभी को बताएँगे कि भूत गोले में खड़े किसी भी एक प्रतिभागी की ओर अपने दोनो हाथ आगे करके धीमें-धीमें. एक-एक कदम बढ़ाते हुए ऐसे जायेगा जैसे कि वह उस चिन्हित व्यक्ति (शिकार) का गला घोटने जा रहा हो. इससे पहले कि भूत अपने शिकार (उस चिन्हित व्यक्ति) का गला दबाये, शिकार को (जिसकी ओर भूत जा रहा है) तुरंत ही किसी अन्य सहभागी का नाम जोर से लेना होगा , और इसके बाद भूत अपने नए शिकार अर्थात पुराने शिकार द्वारा बोले गए नाम वाले व्यक्ति की ओर उसका गला घोटने के लिए जाने लगेगा . और अगर पहला शिकार किसी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं पुकार पाता तो भूत पहले शिकार का गला घोंट देगा और फिर गला घोटा गया व्यक्ति भूत बनकर किसी और का गला घोटने निकल पड़ेगा.यह नया भूत जिसका गला घोटने जा रहा होगा उसे किसी अपना गला घुटने से पहले किसी और का नाम बोलना होगा नहीं तो वह मर कर भूत बन जायेगा . किसी का गला घोटने के बाद भूत जीवित होकर फिर से खेल के गोले में आ जायेगा. अगर सभी लोग किसी न किसी का नाम अपना गला घुटने से पहले बोलते जायेंगे तो भूत अपने चाल में तेजी लायेगा और कोशिश करेगा कि लोगों को दूसरे का नाम सोचने से पहले उनका गला घोटकर उन्हें भूत बना दे .

निर्देश के बाद फैसिलिटेटर खेल आरम्भ करें.

खेल से सीख:

- हमेशा सावधान और सचेत रहें ,इससे अपने आस-पास निगरानी रखने में बहुत मदद मिलती है .
- जिंदगी में आप जिनसे भी मिलते जुलते हैं, उन सभी के नाम-काम-पते जहाँ तक संभव हो सके याद रखें,न जाने किससे-कब-कहाँ मदद की ज़रुरत पड़ जाये.

****

तीसरा सत्र:I-बच्चों से जुड़े ज्वलंत मुद्दे व इनकी निगरानी, II- सर्किल/घेरा

सत्र का उद्देश्य :

- कोरोना काल में बाल मजदूरी, बाल विवाह सहित ऐसे तमाम ज्वलंत मुदों का बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक सेहत और विकास के ऊपर पड़े असर के बारे में जान कर ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों में चर्चा करना .
- गाँव /वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण से संबंधित प्रयासों की उचित देख -रेख और निगरानी कैसे हो , इस बारे में बेहतर समझ विकसित करना .
- सर्किल/घेरा के बारे में जानना और समझना ताकि इसे बच्चों के साथ प्रयोग में लाया जा सके .

सत्र की कुल अवधि : 45 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1.	कोरोना काल में बच्चों से जुडे ज्वलंत मुद्दों(बाल मजदूरी,बाल विवाह..आदि) पर क्या करें और ऐसे बाल संरक्षण प्रयासों की निगरानी कैसे हो : *बॉडी चार्ट (शरीर का रेखा चित्र) अभ्यास द्वारा इस विषय पर समूह कार्य व प्रस्तुतीकरण* चर्चा कैसे करें : -कोरोना काल में बच्चों से जुड़े 5 ज्वलंत मुद्दों की पहचान कर हर समूह में उनमें से किसी एक मुद्दे चर्चा करेगा :- उदहारण के लिए अगर चुनी गई समस्या/ मुद्दा अगर बाल विवाह है तो, समूह चर्चा के प्रश्न इस प्रकार होंगे: *क- क्यों होता है बाल विवाह* *ख- क्या असर पड़ता है बाल विवाह का बच्चों पर* नकारात्मक प्रभाव /*दुष्परिणाम (मानसिक-शारीरिक ,विकासात्मक..)*	20 मिनट	-फ्लिप चार्ट पेपर/चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप (चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप - बॉडी चार्ट (शरीर का रेखा चित्र((5 कापी) -फिल्म 3- बाल विवाह और बाल मजदूरी:एक दुविधा -फिल्म 4- देखरेख और निगरानी

	ग- कैसे बाल विवाह बंद हों *घ- कौन करेगा बाल विवाह को बंद कराने जैसे बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख और निगरानी* *चर्चा के उपरांत सभी बिंदुओं को बॉडी चार्ट में इस प्रकार लिखना –* *-चार्ट के ऊपर - मुद्दा/समस्या* *-चेहरे पर* – पॉइंट क (क्यों)-कारण *-शारीर के अन्दर* - पॉइंट ख (बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है) *-शारीर के बाएँ तरफ*– पॉइंट ग *(कैसे यह समस्या दूर हो)* *-शरीर के दायें तरफ* –पॉइंट घ (*कौन करेगा ऐसी समस्याओं को दूर कराने (जैसे बाल संरक्षण प्रयासों) की देखरेख और निगरानी- किसकी -क्या भूमिका होगी).* नोट :महामारी की अवधि के दौरान बाल संरक्षण से जुड़े प्रमुख मुद्दों का पता लगाने के लिए कुछ उत्प्रेरक बिंदु दिए जा सकते है. साथ ही ज़रुरत पड़े तो वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी. द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों के उदाहरण भी दिये जा सकते हैं		-फिल्म 5-बच्चों के साथ सर्किल (यह फिल्म देखना) -सर्किल पोस्टर
2.	फिल्म 3- बाल विवाह और बाल मजदूरी:एक दुविधा- (इस फिल्म का पहले 5 मिनट तक का हिस्सा देखना) –5 मिनट (यह फिल्म देखना) फिल्म 4-देखरेख और निगरानी (यह पूरी फिल्म देखना)-5 मिनट (यह फिल्म देखना)	10 मिनट	
3.	फिल्म -फिल्म 5-बच्चों के साथ सर्किल (यह फिल्म देखना)	7 मिनट	
4.	सर्किल/घेरा – इसका उद्देश्य और प्रक्रियाएं - खुली चर्चा- (सर्किल पोस्टर के सहयोग से)	8 मिनट	

सत्र विवरण :

1. कोरोना काल में बच्चों से जुडे ज्वलंत मुद्दों(बाल मजदूरी,बाल विवाह..आदि) पर क्या करें और ऐसे बाल संरक्षण प्रयासों की निगरानी कैसे हो : बॉडी चार्ट (शरीर का रेखा चित्र) अभ्यास द्वारा इस विषय पर समूह कार्य व प्रस्तुतीकरण : समय 20 मिनट

फैसिलिटेटर कहें कि अब हम सभी एक समूह अभ्यास करेंगे .यह अभ्यास पांच चरणों में होगा . इसके द्वारा हर समूह कोरोना काल में बच्चों से जुड़े ऐसे 5 ज्वलंत मुद्दों की पहचान करेगा जिनका बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर बहुत ही नाराकात्मक असर पड़ा/ पड रहा है . हर समूह पहचाने गए उन पांच मुद्दों में से किसी एक मुद्दे पर नीचे बताये गए तरीके से विस्तार में चर्चा करेगा तथा चर्चा में निकल कर आयी बातों को एक बॉडी चार्ट(शरीर के रेखा चित्र) पर दर्ज कर सबके समक्ष प्रस्तुत करेगा .

पहला चरण : समूह विभाजन:

फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को पांच समूहों में विभाजित करें . प्रतिभागियों से एक से पांच तक की गिनती गिनवा कर पांच मिश्रित समूह बनाएं (एक संख्या वाले लोग एक समूह में रहेंगे).एक समूह में अधिक से अधिक 7-8 लोग ही हों तो बेहतर होगा. मिश्रित समूह बनाने से सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे को जानने और उनसे मेल-जोल बढ़ने का मौका मिलता है जिससे कि आगे चल कर सामूहिक कारवाई करने में मदद भी मिलती है .

दूसरा चरण : विषय चुनना और बॉडी चार्ट का खाका बनाना:

फैसिलिटेटर निर्देश दें कि :

सभी समूह अलग-अलग गोला बनाकर बैठें तथा संक्षिप्त चर्चा कर आम सहमति से कोरोना काल में बच्चों से जुड़े ऐसे 5 ज्वलंत मुद्दों की पहचान करें जिनका बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर बहुत ही नाराकात्मक असर पड़ा/ पड रहा है.फिर हर समूह इन पांच मुद्दों में से *एक विषय समूह क्रियाकलाप के लिए चुन* लें .

नोट: फैसिलिटेटर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी चिन्हित महत्वपूर्ण विषय समूह चर्चा के बिना छूटे नहीं, कोई न कोई समूह उसे चर्चा के लिए ज़रूर चुन ले.

इसके बाद प्रत्येक समूह अपने लिए एक-एक बॉडी चार्ट बनाएं. बॉडी चार्ट बनाने के लिए हर समूह में कोई एक सहभागी स्वेच्छा से आगे आयें और समूह के बाकी लोग तीन चार्ट पेपर को जोड़ कर बनाये गए एक लम्बे चार्ट पेपर पर उनको पीठ के बल लिटा कर उनके शारीर का खाका खीचें , फिर उस खाका में आँख- नाक,मुंह,बाल आदि बना कर उसे थोडा सजायें और एक मानव आकृति का रूप दें.

इस प्रकार नीचे दिए गए चित्र की तरह हर समूह का अपना बॉडी चार्ट का खाका तैयार हो जायेगा.

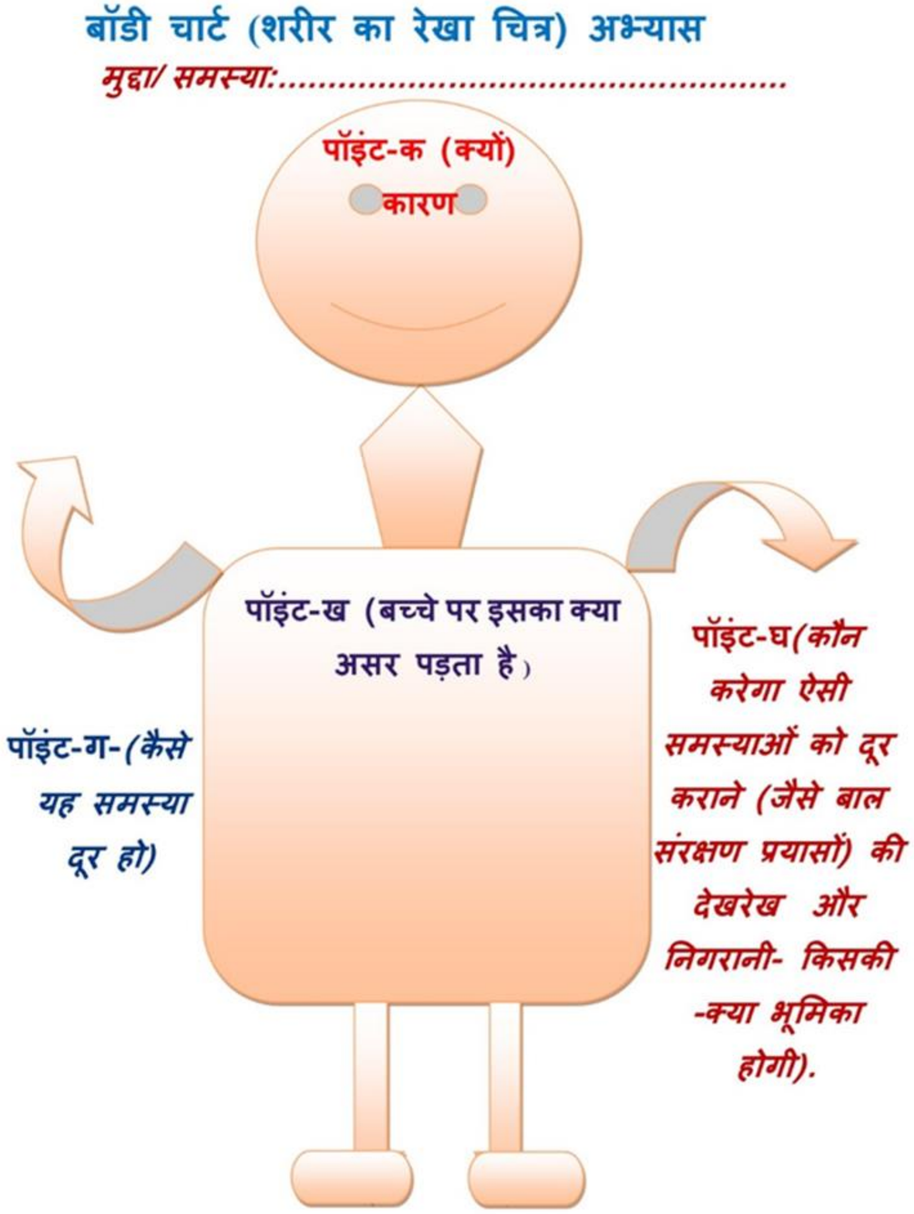

<u>तीसरा चरण: समूह चर्चा करना</u>

फैसिलिटेटर कहेंगे कि अब हर समूह ने जो भी एक विषय चर्चा हेतु चुना है उसपर नीचे बताये गए तरीके से चर्चा करें :

उदहारण : अगर किसी समूह ने 'बाल विवाह' विषय /मुद्दा चुना है तो) उस समूह के लिए चर्चा के लिए प्रश्न इस प्रकार होंगे:

क- क्यों होता है बाल विवाह / ....(कारण)
ख- क्या असर पड़ता है बाल विवाह (........................) का बच्चों पर (नकारात्मक प्रभाव /*दुष्परिणाम (मानसिक-शारीरिक ,विकासात्मक..)(असर)*

ग- कैसे बाल विवाह(.......................................) दूर हो (दूर करने के उपाय)

घ- कौन करेगा बाल विवाह(.................................) को बंद कराने जैसे बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख और निगरानी (इसमें किसकी -क्या भूमिका होगी)

फैसिलिटेटर कहें कि सभी समूह ऊपर दिए गए उदहारण के अनुसार रिक्त स्थानों में अपनी समस्या /विषय लिख कर अपने -अपने समूह में चर्चा आरम्भ करें : -

समूह चर्चा के समय फैसिलिटेटर ध्यान दें :

i. बाल संरक्षण की प्रमुख चुनौतियों /मुद्दों का पता लगाने के लिए होने वाली समूह चर्चा के दौरान - अगर फैसिलिटेटर को लगे कि इस विषय पर समूह चर्चा में असल मुद्दे निकल कर नहीं आ पा रहे हैं तो वे बीच बीच में समूह को उत्प्रेरित करने के लिए कुछ इशारा या हिंट भी दे सकते हैं) ,जैसे -उदाहरण के लिए कुछ मुद्दे ये हो सकते है ; बाल श्रम, बाल विवाह, शारीरिक / भावनात्मक शोषण, घरेलू हिंसा, बाल यौन शोषण / बच्चों पर ऑनलाइन दुर्व्यवहार / एलेक्ट्रोनिक उपकरणों (गैजेट्स) की लत आदि ...) ये मुद्दे बस उदहारण के तौर पर बताये जाने चाहिए , पर फैसिलिटेटर की कोशिश यह होनी चाहिए कि ऐसे सारे मुद्दे चर्चा में निकल कर आयें जिसे लोगों ने खुद देखा-सुना और महसूस किया है और उसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है.

ii. गाँव/वार्ड में चल रहे बाल संरक्षण और विकास कार्यों की देखरेख व निगरानी के विषय पर होने वाली समूह चर्चा के दौरान – समूह चर्चा अगर अपेक्षित दिशा और गति में आगे नहीं बढ़ रही हो तो समूह चर्चा को उत्प्रेरित कर दिशा व गति देने के लिए फैसिलिटेटर द्वारा निम्नलिखित संकेत दिया जा सकता है:-

जैसे फैसिलिटेटर कुछ उदहारण दें सकते हैं कि किन –किन सन्दर्भों में देखरेख व निगरानी होनी चाहिए :-

-स्कूलों में... उपस्थिति... मध्याह्न भोजन ..साफ़ -सफाई ,शौचालय ....शिक्षा का स्तर ...

-गांव में बच्चों के लिए बिभिन्न सेवायें ...

-मनोरंजन (खेल के मैदान) सुविधा

- बाल विकास योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन

-बच्चों के सार्वजनिक अनुकूल स्थान

-आंगनवाड़ी का कार्य

-परिवार व माता – पिता/अभिभावक की स्थिति

-पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) का बाल संरक्षण से जुड़ाव आदि

साथ ही ज़रुरत पड़े तो वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी. द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों के कुछ उदाहरण भी फैसिलिटेटर द्वारा दिये जा सकते हैं जैसे: -

- कोविड से बचाव हेतु टीका करण,
- विद्यालय फिर से खुलें ,
- बच्चे फिर से विद्यालय जाने लगें,
- मध्यान भोजन (मिड डे मील) कार्यक्रम फिर से आरम्भ हो,
- लॉक डाउन के दौरान मिलने वाला मध्यान भोजन (मिड डे मील) का बकाया पैसा बच्चों के खाते में जमा (ट्रान्सफर) हो,
- बंद पड़े विद्यालयों को पुनः खोलने से पहले उनकी ठीक से सफाई हो,
- बाहर से आये परिवारों के बच्चों का भी स्कूल में नामांकन हो आदि.....

''गाँव/वार्ड में चल रहे बाल संरक्षण और विकास कार्यों की देखरेख व निगरानी के लिए एक बेहतर तंत्र विकसित करना होगा जिसमें वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की अहम् भूमिका होनी चाहिए , तभी ये कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेंगे और गाँव /वार्ड में बच्चे सुरक्षित- संरक्षित हो बेहतर ढंग से विकास कर सकेंगे.''

चौथा चरण: *चर्चा के उपरांत सभी* बिंदुओं *को बॉडी चार्ट में ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार लिखना*

फैसिलिटेटर कहें कि सभी ग्रुप चर्चा के उपरांत निकल कर आई बातों को ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार बॉडी चार्ट में लिखें और उसके बाद बड़े समूह में प्रदर्शित करें .

- *चार्ट के ऊपर - मुद्दा/समस्या*
- *चेहरे पर* – पॉइंट क (क्यों)-कारण
- *शरीर के अन्दर* - पॉइंट ख (बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है)

- *शारीर के बाएँ तरफ* – पॉइंट ग *(कैसे यह समस्या दूर हो)*
- *शारीर के दायें तरफ* – पॉइंट घ*(कौन करेगा ऐसी समस्याओं को दूर कराने (जैसे बाल संरक्षण प्रयासों) की देखरेख और निगरानी (किसकी -क्या भूमिका होगी)*

<u>पाँचवां चरण : समूहों द्वारा अपने बॉडी चार्टों का प्रस्तुतीकरण</u>:

क्रियाकलाप के अंत में फैसिलिटेटर सभी समूहों को अपने -अपने बॉडी चार्टों को दीवार पर लगा कर प्रदर्शित करने को कहें जिससे कि सभी उसे देख सकें.

2. फिल्में देखना :

फैसिलिटेटर नीचे बताये गए दोनों फिल्मों को एल.सी.डी प्रोजेक्टर की सहायता से स्क्रीन (परदे) पर दिखायें और इसके बाद इस बात पर संक्षिप्त चर्चा करें कि इन फिल्मों से उन्हें क्या सन्देश मिला.

-फिल्म 3- बाल विवाह और बाल मजदूरी : एक दुविधा (इस फिल्म का पहले 5 मिनट तक का हिस्सा देखना) –समय 5 मिनट:

फैसिलिटेटर कहें कि अभी-अभी आप सबने बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले अहम् मुद्दों की पहचान की. इस विषयों पर कार्य कैसे किया जाये तथा इन कार्यों की प्रगति की देख–रेख व निगरानी कैसे हो इस पर भी चर्चा की .

अब आईये एक फिल्म का कुछ हिस्सा देखते हैं जो बाल विवाह और बाल मजदूरी से जुडी अनेक दुविधावों पर प्रकाश डालती है और बताती है कि यह बच्चों ही नहीं पूरे समाज के लिए किस प्रकार से नुकसानदायक है.

-फिल्म 4- देखरेख और निगरानी (यह फिल्म पूरी देखना): समय 5 मिनट

फैसिलिटेटर कहें कि यह दूसरी फिल्म गाँव या वार्ड में ‘बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में देखरेख व निगरानी से जुडी है. यह फिल्म इस बात पर प्रकाश डालती है कि देखरेख व निगरानी कहाँ कहाँ और क्यों ज़रूरी है.

आईये देखते हैं ये फिल्में:

फैसिलिटेटर दोनों फिल्में दिखाने के बाद इनसे मिले सन्देश पर संक्षिप्त चर्चा करें .

3. फिल्म देखना - फिल्म 5-बच्चों के साथ सर्किल:समय 7 मिनट

फैसिलिटेटर कहें कि : आईये हम एक और फिल्म देखते हैं. यह फिल्म सर्किल की प्रक्रिया के बारे में है . ध्यान से देखिये इस फिल्म को ,क्यों कि इससे हमें सर्किल के उद्देश्य और प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से समझने में

मदद मिलेगी.*इस प्रक्रिया को ढंग से समझना इसलिए भी ज़रूरी हैं क्यों कि हमें अपने-अपने गाँव या वार्ड में वापस जा कर इसे बच्चों के साथ इसे प्रायोगिक रूप में इस अमल में लाना.*

4. सर्किल/घेरा – इसका उद्देश्य और प्रक्रियाएं - खुली चर्चा- समय 8 मिनट

फिल्म दिखाने के उपरांत फैसिलिटेटर बड़े समूह में खुली चर्चा करें तथा उसमें सबसे पूछें कि :

-सबने क्या समझा इस प्रक्रिया के बारे में ? -यह प्रक्रिया क्यों ? -उद्देश्य क्या है इसका ? -इसमें क्या अच्छा लगा और क्यों ? - इसे और बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव हो तो दें ?

फैसिलिटेटर सहभागियों की बातों को एक फ्लिप चार्ट पर दर्ज करते जायें ताकि सहभागियों से जो बातें छूट जायें उसे फैसिलिटेटर अपने प्रस्तुतीकरण में जोड़ सके .

जब सहभागियों की प्रतिक्रिया आ जाये उसके बाद फैसिलिटेटर 'सर्किल की आवश्यकता, महत्व और प्रक्रिया' के बारे में इस विषय पर संलग्न पोस्टर की सहायता से कुछ और जानकारी प्रदान करें -:

फैसिलिटेटर बतायें कि सर्किल का निम्नलिखित उद्देश्य है : -

- मानवीय संबंधों को पुनर्स्थापित **करना ,**

- बच्चों को बोलने के लिए एक सुरक्षित स्थान **उपलब्ध करना** ,
- बच्चों को अपनी भावनाओं को साझा **करने का अवसर देना** ,
- बच्चों को बिभिन्न **विषयों पर** चर्चा **करने ,** सहमत -असहमत **होने का माहौल देना , तथा**
- बच्चों को उनसे संबंधित किसी भी विषय /मुद्दे पर विचार/चर्चा **करने का मौका देना है .**

इसके साथ ही फैसिलिटेटर सर्किल का मौलिक नियम बताएं तथा सेंट्रल पीस , टॉकिंग पीस तथा सर्किल कीपर का अर्थ समझाएं. साथ ही सर्किल में चर्चा किये जाने लायक कुछ विषयों के उदहरण भी दे .

***

चौथा सत्र: वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना

सत्र का उद्देश्य :

- कोरोना काल में गाँव/वार्ड में बाल संरक्षण गतिविधियों/प्रयासों के लिए व्यक्तिगत/समूहिक जिम्मेदारी की समझ विकसित करना
- कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की एक कार्य योजना विकसित करना

सत्र की कुल अवधि : 15 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सत्र सामग्री
1.	वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की बाल संरक्षण कार्य योजना (कोरोना काल के लिए) : समूह कार्य -वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों की एक सूची बनाना *-किस कार्य के लिए कौन व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिम्मेवार होगा* *-वह कार्य कितने दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है.*	13 मिनट	-फ्लिप चार्ट और मार्कर पेन
2.	समापन टिप्पणियां : प्रशिक्षण के अंत में सहभागियों द्वारा कार्यशाला से सीख पर समापन टिप्पणी देना	2 मिनट	

सत्र विवरण:

1. कार्य योजना : समूह कार्य (समय-13 मिनट)

पहला चरण :समूह विभाजन

समूह चर्चा के लिए फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को चार या पांच समूहों में विभाजित करें. समूह का निर्माण गाँव/वार्ड के आधार पर किया जाये तो बेहतर होगा क्योंकि एक ही गाँव/वार्ड के लोग एक समूह में रहेंगे तो वहाँ की स्थिति के आधार पर उन्हें योजना बनाने में सहायता होगी ,परन्तु एक समूह में 7-8 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए . अगर एक गाँव/वार्ड से 7-8 से अधिक सहभागी हों तो उनका दो समूह बना दिया जाना चाहिए .

दूसरा चरण : समूह चर्चा

समूह चर्चा के लिए निर्देश : समूह विभाजन के पश्चात फैसिलिटेटर सभी समूहों को अलग अलग गोले में बैठने को कहें और उसके बाद बताएं कि उन्हें समूह चर्चा निम्नलिखित विषयों पर करनी है. चर्चा से निकल कर आई बातों को एक चार्ट पेपर पर नीचे दिए गए चित्र के अनुसार लिख कर प्रस्तुत करना है :-

समूह चर्चा हेतु विषय :

फैसिलिटेटर कहें कि सभी समूहों को नीचे दिए गए विषयों पर चर्चा कर वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना विकसित करनी है :

पहला विषय: वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों की एक सूची बनाना (कार्य सूची). यह सूची पिछले सत्रों में हुई क्रियाकलापों के आधार पर बनायीं जाये (खास *कर चौथा सत्र: कोरोना काल में बच्चों से जुडे कुछ ज्वलंत मुद्दे और पाँचवां सत्र : बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख व निगरानी के आधार पर(. साथ ही हर समूह सर्किल के क्रियाकलाप को भी अपनी कार्य योजना में अवश्य शामिल करे क्यों कि यह बच्चों की बात सुनने तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है* .

दूसरा विषय: -*किस कार्य के लिए कौन सा व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिम्मेवार होगा(जिम्मेदारी)*

तीसरा विषय*: वह कार्य कितने दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है (समय सीमा).*

वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की बाल संरक्षण कार्य योजना (कोरोना काल के लिए)			
क्रम संख्या	**कार्य** (वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों की सूची)	**जिम्मेदारी** (इस कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्ति समूह)	**समय सीमा** (कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा)
1.			
2.			

3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
समूह के सभी सदस्यों के नाम:			

समूह चर्चा : फैसिलिटेटर सभी समूहों से कहें कि वे ऊपर बताये गए विषय पर चर्चा आरम्भ करें और चर्चा से निकल कर आई बातों को एक चार्ट पेपर पर दिए गए चित्र के अनुसार लिखें.

समूह प्रस्तुतीकरण :फैसिलिटेटर समूह कार्य हो जाने के उपरांत सभी समूहों को अपनी कार्य योजना को दीवार पर लगा कर प्रदर्शित करने को कहें . अगर समय हो तो फैसिलिटेटर प्रत्येक समूह को अपनी योजना सभी सहभागियों के समक्ष प्रस्तुत कर ,उस समूह की योजना पर सबके विचार /सुझाव भी आमंत्रित कर सकते हैं.

2. समापन टिप्पणियां : समय- 2 मिनट

फैसिलिटेटर सभी सहभागियों को एक बड़े गोले में खड़ा होने का निर्देश दें .गोला बन जाने के बाद वें कहें कि चुकि यह प्रशिक्षण अब समाप्त होने वाला है, अतः सभी सहभागी बस एक-दो वाक्यों में यह बताएं कि इस कार्यशाला में उन्होंनें क्या कुछ नया जाना या सीखा.

सहभागियों की टिप्पणीयां: फैसिलिटेटर सभी सहभागियों को दिए गए नर्देश के अनुसार बारी-बारी से अपनी समापन टिपण्णी देने को कहेंगे और इसी के साथ कार्यशाला का समापन हो जाएगा .

***

अनुलग्नक: A- बाल संरक्षण से जुड़े प्रमुख क़ानून व योजनायें

'बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम -1986 : बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम-1986 में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया ,अब हम इसे 'बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम -1986 के नाम से जानते हैं) :

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार बच्चों को दो श्रेणियों में बांटा गया है:
बच्चा- 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति
किशोर-14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति

- 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम देना गैर-क़ानूनी है; हालाँकि इस नियम के कुछ अपवाद हैं जैसे की पारिवारिक व्यवसायों में बच्चे स्कूल से वापस आकर या गर्मी की छुट्टियों में काम कर सकते हैं । इसी तरह फिल्मों में बाल कलाकारों को काम करने की अनुमति है, खेल से जुड़ी गतिविधियों में भी वह भाग ले सकते हैं ।
- 14-18 वर्ष की आयु के बच्चों को काम पर रखा जा सकता है (जो किशोर/किशोरी की श्रेणी में आते हैं) यदि कार्यस्थल सूची में शामिल खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया से न जुड़ा हो ।

इस कानून का उल्लंघन होने पर कोई भी इसकी शिकायत पुलिस या मजिस्ट्रेट से कर सकता है । कोई भी इसकी शिकायत चाइल्ड लाइन (फ़ोन 1098) पर या बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं से भी कर सकता हैं जो मुद्दे को आगे तक ले जा सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी या बाल मज़दूर इंस्पेक्टर भी शिकायत कर सकते हैं ।

यह अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है, यानि कि/अर्थात इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर वारंट की गैर-मौजूदगी में भी गिरफ़्तारी या जाँच की जा सकती है ।

इस क़ानून का उल्लंघन करते हुए बच्चों को काम पर रखने पर क्या सज़ा दी जा सकती है ?

कोई भी व्यक्ति जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाता है अथवा 14-18 वर्ष के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम देता है, उसे 6 महीने – २ साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और साथ ही 20,000 - 50,000 रूपए तक का जुर्माना भी हो सकता है ।

रजिस्टर न रखना, काम करवाने की समय-सीमा न तय करना और स्वास्थ्य व सुरक्षा सम्बन्धी अन्य उल्लंघनों के लिए भी इस कानून के तहत १ महीने तक की जेल और साथ ही 10,000 रूपए तक का जुर्माना भरने की सज़ा हो सकती है । यदि आरोपी ने पहली बार इस कानून के तहत कोई अपराध किया है तो केस का समाधान तय किया गया जुर्माना अदा करने से भी किया जा सकता है ।

इस क़ानून के अलावा और भी ऐसे अधिनियम हैं (जैसे की फैक्ट्रीज अधिनियम, खान अधिनियम, शिपिंग अधिनियम ,मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम इत्यादि) जिनके तहत बच्चों को काम पर रखने के लिए सज़ा का प्रावधान है, पर बाल मज़दूरी करवाने के अपराध के लिए अभियोजन बाल मज़दूर कानून के तहत ही होगा ।

इस कानून के तहत संरक्षित किये गए बच्चों के साथ क्या होता है ?

इस क़ानून का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों से जिन बच्चों को बचाया जाता है उनका नए कानून के तहत पुनर्वास किया जाना चाहिए l ऐसे बच्चे जिन्हें देख-भाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उन पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 लागू होता है l

बाल श्रम के ऐसे केस जिसमें बच्चों के बंधुआ मज़दूर के सामान स्थिति में पाए जाने पर बाल श्रम से सम्बंधित अपराधों में केस/प्रकरण को और मज़बूत करने के लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 को भी लगाया जाता है |

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:

18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष के लड़के को इस अधिनियम के तहत विवाह करने योग्य माना गया है | इसके तहत यदि किसी विवाहित जोड़े में से कोई भी एक व्यक्ति दिए गए उम्र से कम है तो है , तो इसे बाल विवाह माना जाता है |इसका अर्थ है कि विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है |

यह कानून उस व्यक्ति को, जो शादी के समय बच्चा था अपनी शादी को अमान्य घोषित करने का अधिकार देता है। यदि बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है और शादी को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करना चाहता है तो ऐसी याचिका उसके किसी नेक्स्ट फ्रेंड /अभिभावक (ऐसा व्यक्ति जो बच्चे के नाबालिग होने की स्तिथि में अदालत में बच्चे के स्थान पर पेश होता है) के माध्यम से बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ दायर की जा सकती है। हालाँकि यदि उस व्यक्ति को 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद विवाह निरस्त करने के लिए याचिका दायर करनी है तो वह यह याचिका स्वयं दायर कर सकता है(18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर) .

बाल विवाह के लिए किसे दंडित किया जा सकता है?

- बाल विवाह करने वाले व्यस्क पुरुष के लिए दंड (Punishment for male adult marrying a child—) 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष अगर 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे दो वर्ष के कठोर कारावास या एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

- बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड (Punishment for solemnising a child marriage) – जो व्यक्ति बाल विवाह को संपन्न , संचालित , निर्दिष्ट और दुष्प्रेरित करता है उसे दो साल के कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

- बाल विवाह के अनुष्ठान को बढ़ावा देने या उसे स्वीकृति देने के लिए दंड (Punishment for promoting or permitting solemnisation of child marriages) -कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है या इसकी अनुमति देता है,चाहे वो माता –पिता,अभिभावक, किसी संस्था या संगठन के सदस्य कोई भी हों, इसके अंतर्गत बाल विवाह में उपस्थित या शामिल होना भी आता है, उसे दो साल के कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। हालांकि, किसी भी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता है।

बाल विवाह निषेध अधिकारी:

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,पूरे राज्य या उसके ऐसे हिस्से के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्त करती है.

बाल विवाह निषेध अधिकारी का कर्तव्य :

- बाल विवाह के अनुष्ठापन को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई करना जो वह ठीक समझे;
- इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए साक्ष्य एकत्र करना;
- व्यक्तिगत मामलों में के लिए या आम तौर पर इलाके के निवासियों को इस बात के प्रति जागरूक करना कि वे बाल विवाह को बढ़ावा देने, इसमें मदद करने या अनुमति देने में लिप्त न हों ;
- बाल विवाह से होने वाली बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करना;
- बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना;

राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, शर्तों और सीमाओं के साथ बाल विवाह निषेध अधिकारी को एक पुलिस अधिकारी जैसी शक्तियां भी प्रदान कर सकती है ताकि इस कानून का उल्लंघन होने वाले संभावित क्षेत्रों व समुदायों पर कड़ी नज़र रखी जा सके और उल्लंघन करने वालों को सजा दिलाई जा सके.

कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क (बच्चे) के विवाह का शून्य होना:

जहां कोई बच्चा , जो विवाह के प्रयोजन के लिए अवयस्क है, ,-

(क) विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है; या

(ख) किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है;या

(ग) विक्रय किया जाता है, और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात् उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहां ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा।

<u>यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012</u>- इस कानून के अंतर्गत बच्चे का मतलब वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है.

इस एक्ट के मुख्य प्रावधान:

इसने भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुसार सहमती से सेक्स करने की उम्र को 16 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष कर दिया है. इसका मतलब है कि-

1.**(a)** यदि कोई व्यक्ति (एक बच्चा सहित) किसी बच्चे के साथ उसकी सहमती या बिना सहमती के यौन कृत्य करता है तो उसको पोक्सो एक्ट के अनुसार सजा मिलनी ही है.

(b) यदि कोई पति या पत्नि 18 साल से कम उम्र के जीवनसाथी के साथ यौन कृत्य कराता है तो यह अपराध की श्रेणी में

आता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है.

2. यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है.

3. पोक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में की कोशिश करनी चाहिए.

4. यदि अभियुक्त एक किशोर है, तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम, 2015 (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) में मुकदमा चलाया जाएगा.

5.यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार है, तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्येश्य के लिए अनुवादक, दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए.

6. यदि अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सजा उस कानून में तहत होगी जो कि सबसे सख्त हो.

7. इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त (accused) पर होता है. इसमें झूठा आरोप लगाने, झूठी जानकारी देने तथा किसी की छवि को ख़राब करने के लिए सजा का प्रावधान भी है.

8. जो लोग यौन प्रयोजनों के लिए बच्चों का व्यापार (child trafficking) करते हैं उनके लिए भी सख्त सजा का प्रावधान है.

9. सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुरूप, इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि *यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है या ऐसा होने की आशंका है तो उसके इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वो ऐसा नही करता है तो उसे छह महीने की कारावास और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है.*

10. यह अधिनियम बाल संरक्षक की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है. इसमें पुलिस को बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था बनाने की ज़िम्मेदारी दी जाती है. जैसे बच्चे के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करना और बच्चे को आश्रय गृह में रखना इत्यादि.

11. पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अन्दर बाल कल्याण समिति (CWC) की निगरानी में लाये ताकि CWC बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके.

12. इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए प्रावधान भी किए गए हैं, जो कि इस तरह की हो ताकि बच्चे के लिए कम से कम पीड़ादायक हो. मेडिकल जांच बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, जिस पर बच्चे का विश्वास हो, और बच्ची की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जानी चाहिए.

13. इस अधिनियम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि न्यायिक व्यवस्था के द्वारा फिर से बच्चे के ऊपर ज़ुल्म न किये जाएँ. इस एक्ट में केस की सुनवाई एक स्पेशल अदालत द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने दोस्ताना माहौल में किया जाने का प्रावधान है. यह दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखने की कोशिश की जानी चाहिए.

14. विशेष न्यायालय, उस बच्चे को दिए जाने वाली मुआवजे की राशि का निर्धारण कर सकता है, जिससे बच्चे के

चिकित्सा उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके.

15. अधिनियम में यह कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए.

16. अगर यौन हिंसा के दोषी वैसे लोग हैं जिन पर बच्चे की सुरक्षा का दायित्व है या वे बच्चे के संरक्षक हैं /या सरकारी सेवक हैं तो इसे उग्र यौन हमला / यौन हिंसा मान कर इसके लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है

<u>इस क़ानून के तहत मुख्य अपराध :</u>

<u>प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative sexual assault)</u>

- अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनि, मूंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
- किसी वास्तु या शरीर के ऐसे भाग को, जो लिंग नही है, किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है; या
- बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मूंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक के साथ करवाता है |

<u>गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला(Aggravated penetrative sexual assault):</u>

- यदि कोई लोक सेवक होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है |
- यदि कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, किसी अस्पताल, सरकारी या प्राइवेट, कोई भी संस्थान- शैक्षणिक, धार्मिक आदि का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए उस परिसर में बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला
- कोई भी पुलिस अधिकारी होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है
- अपने पुलिस स्टेशन या कार्यक्षेत्र में जहां उसकी नियुक्ति हुई है या
- किसी भी स्टेशन हाउस के अन्दर, चाहे वो पुलिस स्टेशन के भीतर हो या न हो, जहां पर व नियुक्ति है या
- अपने ड्यूटी के दौरान या उसके अलावा या
- जहां पर वह पुलिस अधिकारी के रूप जाना जाता है या
- जो कोई सशत्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है
- उस क्षेत्र सीमा के अन्दर जहां उसकी नियुक्ति हुई है या
- जहां पर उस व्यक्ति को सशत्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य के रूप जाना जाता है या ज्ञात है या
- सामूहिक प्रवेशन यौनिक हमला
- यदि बच्चा 12 साल से कम है तो
- किसी तरह की धमकी/ हथियार/नशे का इस्तेमालबच्चे को किसी तहत बिमारी/ गंभीर चोट जिससे किसी भी प्रकार की विकलागंता/ संक्रमण

लैंगिक हमला(sexual assault)

जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किये बिना शारीरिक अन्तग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है यह कहा जाता है |

लैंगिक उत्पीडन(Sexual harassment.)

- कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से-
- कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वास्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंगविक्षेप या वास्तु या शरीर का भाग देखा जायेगा; या
- किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई अंग प्रदर्शित कराता है जिससे उसको व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके
- अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक का कोई वास्तु दिखाता है; या

अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का इस्तेमाल (Use of child for pornographic purposes)

जो कोई, किसी बालक का, मीडिया के (जिसमें टीवी चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं सम्मलित है) किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मलित है:

- किसी बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन करना
- किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना;
- किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना
- वह किसी बालक का श्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा |

अश्लील सामग्री का भंडारण (storage of pornographic material involving child)

कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंदार्करण करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा |

बालिकाओं के साथ बढती दरिंदगी को देखते हुए, इस एक्ट में बदलाव कर अब 12 साल तक की बच्ची से बलात्कार के दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है |

यह अधिनियम न्यायिक व कानूनी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है | अपराधों का निपटारा विशेष अदालतों द्वारा किया जाता है एवं उनके लिए घटनाओं की रिपोर्टिंग, सबूतों की रिकॉर्डिंग, जांच एवं त्वरित

सुनवाई के लिए बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है | यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की पूर्ण एवं व्यापक रूप से पहचान करता है | यह प्रत्येक स्तर पर सभी बातों पर ध्यान देता है ताकि बच्चे का स्वास्थ्य एवं भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक व मानसिक विकास सुनिश्चित किया जा सके |

<u>किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015</u>- सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया. सन 2015 में इस क़ानून में व्यापक परिवर्तन किये गए और यह एक नए स्वरुप में लागू किया गया | यह अधिनियम बाल संरक्षण के सन्दर्भ में देश का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है क्योकि यह बाल संरक्षण हेतु पूरे देश में एक ढाचा और व्यस्था उपलब्ध करता है. इस अधिनियम के अंतर्गत "बच्चे " का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

यह अधिनियम देखभाल एवं संरक्षण की ज़रुरत वाले बच्चों तथा क़ानून से संघर्षरत/ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए काम करता है. इस अधिनियम के अंतर्गत हर जिले में बाल कल्याण समिति (चाइल्ड वेलफेयर कमिटी) होती है जो देखभाल एवं संरक्षण की ज़रुरत वाले बच्चों के हित के लिए कार्य करती है, तथा हर जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड/परिषद् (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) होती है जो 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के हित के लिए कार्य करती है.

<u>देखभाल एवं संरक्षण की ज़रुरत वाले बच्चे तथा बाल कल्याण समिति</u>: इस अधिनियम के अनुसार देखभाल एवं संरक्षण की ज़रुरत वाले बच्चे वह हैं जो:-

- बेघर है
- जो कार्य करते हुए(श्रम कानूनों के उल्लंघन में),भीख मांगते हुए अथवा सड़कों पर रहते हुए मिला हो
- जो किसी व्यक्ति के साथ रह रहा है (चाहे वह व्यक्ति बच्चे का अभिरक्षक है अथवा नहीं) और वह व्यक्ति —
    - बच्चे का शोषण करता, चोट पहुंचाता, दुर्व्यवहार करता अथवा अनदेखी करता हो अथवा
    - उस समय प्रभावी किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता है अथवा
    - बच्चे को मारने, घायल करने, शोषण करने अथवा गाली-गलौज करने की धमकी देता है अथवा
    - अन्य कुछ बच्चों अथवा बच्चे को मार डाला,उपेक्षित किया अथवा शोषण किया है और उस व्यक्ति की ओर से इस बच्चे को मारने, दुर्व्यवहार अथवा शोषण करने की वैसी वजहें हैं, अथवा
- जो मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकृत है अथवा असाध्य या घातक बीमारी से ग्रसित है, तथा उसकी देखरेख या सहायता करने वाला कोई नहीं है अथवा
- जिसके माता-पिता अथवा संरक्षक हैं और वे माता-पिता या संरक्षक उसकी देखभाल करने में असमर्थ अथवा अक्षम पाए गए हैं अथवा

- जिसके माता-पिता नहीं हैं और उसकी देखभाल को कोई भी इच्छुक नहीं है, अथवा जिसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया है अथवा समर्पित कर दिया है, या
- जो लापता है अथवा जो बच्चा भाग गया है
- जो यौन दुष्कृत्य अथवा अवैध कृत्य के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल, उत्पीडित अथवा शोषित किया गया या फिर उसके साथ उस जैसा हुआ है, अथवा
- जिसे मादक पदार्थ के दुरुपयोग अथवा अवैध कारोबार में फंसनें का जोखिम हो अथवा उसे धकेला गया हो, अथवा
- अनुचित लाभ के लिए जिसका दुरुपयोग किया गया या किए जाने की संभावना है,अथवा
- जो किसी सशस्त्र संघर्ष, उपद्रव अथवा प्राकृतिक आपदा का शिकार अथवा उससे प्रभावित हुआ है, अथवा
- विवाह योग्य आयु के होने से पहले जिसका विवाह होने का जोखिम हो

<u>बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)</u>

- बाल कल्याण समिति एक पांच सदस्यीय समिति है, जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होने चाहिए तथा उनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए.
- जिला बाल संरक्षण इकाई (सी.डब्ल्यू.सी) बाल कल्याण समिति को उसके प्रभावी कार्य के लिए सचिवालय सहयोगार्थ सचिव तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी.
- समिति को देखभाल और सुरक्षा की जरुरत वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए मामलों को निपटाने की शक्ति है.
- समिति की बैठक माह में कम से कम बीस दिन होगी.
- बाल कल्याण समिति चार महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करती है
- बाल कल्याण समिति जांच की उचित प्रक्रिया के बाद बच्चों को गोद लेने हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित करती है.
- यह समिति स्वतः-संज्ञान (सुओ-मोटो) लेती है और बच्चों तक पहुँचती है.

<u>देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक की ओर से प्रस्तुत किया जा सकता है :</u>

- कोई भी पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति
- जिला बाल संरक्षण इकाई
- कोई भी लोक सेवक
- चाइल्ड लाइन
- बाल कल्याण अधिकारी अथवा परिवीक्षा अधिकारी
- कोई सामाजिक कार्यकर्ता अथवा जागरूक नागरिक
- परिचारिका (नर्स), चिकित्सक (डॉक्टर) या नर्सिंग होम (परिचर्या गृह), अस्पताल अथवा प्रसूति गृह का प्रबंधन

- बालक खुद से

<u>देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के सम्बन्ध में पारित आदेश: </u>जांच के बाद, बाल कल्याण समिति, एक अथवा अधिक आदेश पारित कर सकती है:

- यह घोषित करना कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की जरुरत है
- चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या अन्य नामित सोशल वर्कर की देखभाल के साथ या बिना, बच्चे को परिवार में वापस देना.
- बच्चे को बाल गृह/ उचित सुविधा/ पालक देखभाल या विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखना
- दीर्घावधि अथवा अस्थाई देखभाल के लिए बच्चे को योग्य व्यक्ति के साथ रखना
- अनाथ और परित्यक्त बच्चे के मामले में, समिति बच्चे के माता-पिता या अभिभावकों का पता लगाने के लिए सभी प्रयास करना और इस तरह की जांच पूरी होने पर, यदि यह स्थापित हो जाये कि बच्चा या तो अनाथ है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या उसे छोड़ दिया गया है , तो समिति द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना .
- पालक देखभाल आदेश देना (फोस्टर केयर आर्डर)
- बच्चे के लिए स्पॉन्सरशिप का आदेश देना

<u>कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा किशोर न्याय बोर्ड:</u>

इस अधिनियम के अनुसार "कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा" वह बच्चा है –

• जिसके बारे में यह कहा गया है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है; और

• उस अपराध के किये जाने की तारीख को उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है.

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को बिना देर किये, पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर (उस स्थान से, जहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई थी, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) किशोर न्याय बोर्ड /परिषद्(Juvenile Justice Board) के समक्ष पेश किया जाना चाहिए| अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड होना चाहिए| किशोर न्याय बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं.

किसी बच्चे द्वारा किए गए किसी भी अपराध को तीन प्रकारों में बांटा गया है- जघन्य अपराध, गंभीर अपराध ,तथा छोटे अपराध.

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के बारे में आदेश:किशोर न्याय बोर्ड कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे द्वारा किये गए अपराध की जाँच के बाद अपराध की गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है:

- बच्चे को परामर्श के बाद घर जाने की अनुमति देना

- बच्चे को परामर्श गतिविधियों में भाग लेने के लिए निर्देशित करना
- बच्चे को सामुदायिक सेवा करने का आदेश देना
- बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक को जुर्माना भरने के लिए कहना
- उचित व्यक्ति/ उचित सुविधा के तहत प्रोबेशन (परिवीक्षा)पर रिहा करना, जिसकी अवधि 3 वर्ष से
- अधिक नहीं होगी
- विशेष गृह/ सुरक्षा के स्थान पर भेजा जाना

16 से 18 साल के बच्चे द्वारा किया गया जघन्य अपराध

जब कोई 16-18 वर्ष की उम्र के बीच का बच्चा जघन्य अपराध करता है, तो बोर्ड ऐसा अपराध करने वाले बच्चे के विषय में निम्नलिखित आधार पर मूल्याँकन करता है:

1. बालक की मानसिक और शारीरिक क्षमता
2. अपराध के परिणामों को समझने की उसकी योग्यता
3. उन परिस्थितियों को समझना, जिसमें उससे अपराध हुआ

मूल्याँकन के बाद बोर्ड इस अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस मामले में आगे के परीक्षण (ट्रायल) की आवश्यकता तो बोर्ड उस मामले को बाल न्यायालय में भेज देता है . यदि बाल न्यायालय द्वारा परीक्षण के बाद, कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को जघन्य अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे बालक को उसके इक्कीस वर्ष की आयु का होने तक सुधार और पुनर्वास के लिए सुरक्षा स्थल पर भेजा जा सकता है . इक्कीस वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, बच्चे का मूल्यांकन बाल न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसके बाद या तो बच्चे को छोड़ दिया जाता है या कारावास की बाकी अवधि के लिए वयस्क जेल में भेज दिया जाता है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी के कार्य

इस क़ानून के अंतर्गत हर ज़िले में विशेष किशोर पुलिस इकाई (स्पेशल जुविनाइल पुलिस यूनिट- एस. जे.पी.ओ.) का गठन किया गया है | प्रत्येक ज़िले में गठित एस.जे.पी.यू एवं प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सी.डब्ल्यू.पी.ओ.) से यह अपेक्षित है कि बच्चों के मामलों को अविलम्ब एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें |
इनके प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं :

- बच्चों के संपर्क में आने वाले बाल कल्याण पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं ,सादा कपड़ों में रहेंगे|
- बालिकाओं के साथ संपर्क के लिए महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा |
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चों से विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेगा|
- बच्चों को असहज बना देने वाले सवालों को विनम्रता एवं बुद्धिमतापूर्वक पूछा जायेगा |

- बच्चे के प्रति होने वाले अपराध की एफ..आई.आर की कॉपी शिकायतकर्ता और पीड़ित बच्चे को सौंपी जायेगी | अन्वेषण की प्रति भी शिकायतकर्ता को भेजी जायेगी |
- किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बच्चों के संपर्क में नहीं लाया जायेगा | जहां पीड़ित और क़ानून का उल्लंघन करने वाले, दोनों बच्चे हैं, उन्हें एक दुसरे के संपर्क में लाया जायेगा |
- एस.जे.पी.यू के पास किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और बाल देखरेख संस्थाओं एवं उपयुक्त सुविधाओं की सूचि होगी | सभी सदस्यों के नाम एवं संपर्क ब्योरे प्रमुख भाग में प्रदर्शित किये जायेंगे |
- एस.जे.पी.यू ज़िला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड, समिति और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के निकट समन्वय से कार्य करेगी |

<u>जब विधि का उल्लंघन करने के लिए पुलिस किसी बच्चे को निरुद्ध करती/ पकडती है(apprehend) :</u>

- बच्चे के माता-पिता/ अभिभावक को सूचित किया जाएगा |
- सम्बंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा, ताकि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं अन्य महत्तवपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके |
- 24 घंटे के भीतर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ एस.जे.पी.यू द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ एस.जे.पी.यू निरुद्ध किये गए बच्चे को हवालात में न भेजकर सम्प्रेषण गृह में भेज सकता है |
- बच्चे को हथकड़ी, ज़ंजीर या बेड़ी नहीं पहनाया जायेगा, तथा बच्चे पर बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा |
- बच्चे को उन आरोपों की जानकारी तुरंत उसके अभिभावक के माध्यम से डी जाएगी| यदि प्राथमिकी दर्ज की जाती है या सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, तो उसकी कॉपी बच्चे को या अभिभावक को दी जाएगी |
- बच्चे को उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता दी जायेगी |
- बाल अनुकूल वातावरण में, बच्चे से उसके अभिभावकों की उपस्थिति में, बातचीत की जाएगी तथा किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जायेगा |
- बच्चे से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहा जायेगा |
- ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बच्चे को नि:शुल्क विधिक सेवा डी जाएगी|

<u>सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट:</u>

- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा, बच्चे की सामजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट- एस.बी.आर-प्रारूप 1) बच्चे की किसी अपराध में शामिल होने पर तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जायेगी|
- ज़िले के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, पैरालीगल स्वयंसेवियों की इस रिपोर्ट के बारे में समझ होना चाहिए|

बच्चों से सम्बंधित मामलों में पुलिस की भूमिका :

- अपराध होने की संभावना अथवा अपराध होने पर रिपोर्ट लिखना |
- बच्चों से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों को दैनिक रजिस्टर में एंट्री व उनका रख-रखाव करना|
- एफ.आई.आर, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट दर्ज कर जांच करना |
- सम्बंधित आयुक्त, श्रम, बाल कल्याण समिति/ चाइल्ड लाइन से संपर्क एवं समन्वय बनाकर रखें |
- बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 की धारा 14, 16 के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज करनी चाहिए एवं परिस्थितियों के अनुसार किशोरे न्याय (बच्चों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75, 79 (जैसा की उल्लेखित है), बंधुआ मजदूरी उन्मूलन (अधिनियम), 1976 की धारा 16,17,18 और 19 के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज करनी चाहिए|
- आदेश जारी करने के लिए बाल -संरक्षण सम्बंधित पुलिस अधिकारी (चाइल्ड मैरेज पुलिस ऑफिसर -सी.एम.पी.ओ, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर- सी.डब्ल्यू.पी.ओ, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट- एस.जे.पी.यू इत्यादि) को रिपोर्ट करना |
- पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई देखभाल की आव्यश्यकता रखने वाले बच्चे की सूचना प्राप्त करते ही ऐसे बालक को देख-रेख एवं संरक्षण उपलब्ध करवाएंगे एवं किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन गठित एवं ज़िम्मेदार बाल कल्याण समिति को सौंपने की कार्यवाही करेगी |
- चाइल्ड वेलफेयर कमीटी (सी.डब्ल्यू.सी) बच्चे की देख-रेख एवं संरक्षण, जांच एवं विचारण/निस्तारण के दौरान सहयोग के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है |
- देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में बच्चों को सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी हमेशा सिविल ड्रेस में होना चाहिए|
- देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में क़दम उठाना |
- ऐसा बच्चा जो माता-पिता के संरक्षण से वंचित है अथवा ऐसे स्थान पर रह रहा है जहां पूरी संभावना है कि उसका शारीरिक शोषण होगा, तो बच्चे को 24 घंटे के भीतर सी.डब्ल्यू. सी के समक्ष प्रस्तुत करना |
- बच्चे को चिकित्सीय/ स्वास्थ्य परिक्षण के लिए राजकीय चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक की अनुपस्थिति में रजिस्टर्ड निजी चिकित्सक के पास ले जाना |
- यदि पीड़ित लड़की है तो ऐसी बच्ची की चिकित्सीय/ स्वास्थ्य परिक्षण माता-पिता अथवा ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में करवाया जाना चाहिए जिस पर पीड़ित को विश्वास हो |
- मामले की प्रगति रिपोर्ट की बच्चे के माता-पिता, अभिभावक एवं अन्य सहयोगी संस्था को सूचना देना |

***

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.):

Integrated Child Protection Scheme (ICPS)

ICPS brings several existing child protection programmes under one umbrella and initiates new interventions.

- I. Care, support and rehabilitation services
- II. Statutory support services
- III. Other activities

I. Care, support and rehabilitation services

1. Emergency outreach service through 'CHILDLINE'

- ***24/7 emergency phone outreach service*** -service can be accessed by a child in difficulty or an adult on his behalf by dialing 1098.Established in 1999, it is presently operational in 83 cities across the country.

2.Open shelters for children in need in urban and semi-urban areas.

- a space for children where they can play, use their time productively and engage themselves , in creative activities that would encourage meaningful peer group participation and interaction.

3.Family based non institutional care through sponsorship, foster-care,adoption and after-care.

4. Institutional services- Shelter homes, Children's homes, Observation homes, Special homes & Specialised services for children with special needs.

II. Statutory support services

1.Child welfare committees (CWCs)-

- final authority to dispose of cases for the care, protection, treatment, development and rehabilitation of children in need of care & protection and to provide for their basic needs and protection of human rights.

2. Juvenile justice boards (JJBs)

- to deal with matters relating to juveniles in conflict with law.

3.Special juvenile police units (SJPUs)

- to coordinate and upgrade the police interface with children

III. Other activities

1. **Human resource development for strengthening counselling services.**

- counselling for children and families at risk

2. Training and capacity building

- Nodal responsibility-National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD)
- Strong networking and coordination with National Commission for Protection of Child Rights, National Institute of Social Defence (NISD), National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Judicial Academies, Police Training Schools and Administrative Institutions/Academies.

3. Strengthening the knowledge-base

- Research and documentation, Child tracking system, Website for missing children

4. Advocacy, public education and communication

- Mass media , street plays, discussion forums, printing and dissemination of Information, IEC materials, consultations and advocacy workshops.

5.Monitoring and Evaluation

- District level- The Chairperson Zila Parishad and District Magistrate, assisted by District Child Protection Committee (DCPC)
- State level- The State Secretary, Women and Child Development with the help of the State Child Protection Committee (SCPC).

Service Delivery Structure of ICPS

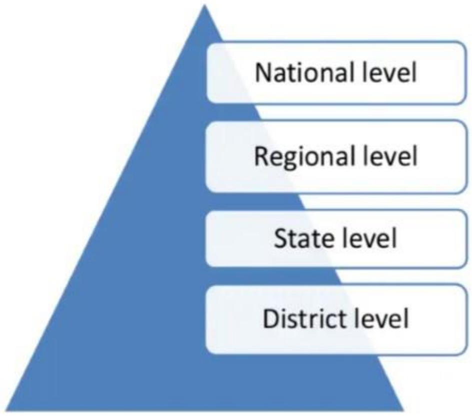

National level

Childline India Foundation

- Headquarters in Mumbai
- voluntary organisation established by the Govt of India in 1999
- nodal agency for the Childline service
- to initiate and monitor the performance of Childline service in cities and districts
- to conduct training/sensitization, research and advocacy at the national level on child protection issues.
- Under the ICPS, CIF shall be given the status of a "Mother NGO" for running Childline Service in the country.

- **Child protection division in the national institute of public cooperation and child development (NIPCCD)**

  -responsibility for carrying out all child protection training and research activities in the country.

- **Central adoption resource agency (CARA)**

  -Central Authority in all matters concerning Adoption

  - shall function as an advisory body and think-tank for the Ministry of Women and Child Development

Regional level

- **Child protection division in the four regional centres of National Institute Of Public Cooperation And Child Development (NIPCCD)**

  - to facilitate training, capacity building, research and documentation and data management on Child Protection at regional levels, four Regional Centres at Bangalore, Guwahati, Indore and Lucknow respectively.

- **Four regional centres of childline India foundation (CIF)**

  *at Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai ; headquarters in Mumbai to take up the nodal responsibility

  * These centers would

    i. Expand the Childline services to all districts in the states covered by each region

    ii. Monitor the Childline service in all districts in the states covered by each region

    iii. Undertake advocacy, training and research on child protection issues in the region

State Level

- **State child protection society (SCPS)**

  - the fundamental unit for the implementation of the scheme in state.

- **State adoption resource agency (SARA)**

  - liaison with DCPS and provide technical support to the CWC in carrying out the process of rehabilitation and social reintegration of all children through sponsorship, foster-care, in-country and intercountry adoption.

- **State child protection committee (SCPC)**

  `- under the Chairpersonship of the State Secretary dealing with ICPS to monitor the implementation.

- **State adoption advisory committee**

  - promote, implement, supervise and monitor the family based non-institutional programmes including sponsorship, foster care in-country and inter-country adoption at State level

District level

- **District child protection society (DCPS)**

  - fundamental unit for the implementation of the scheme.

- **District child protection committee (DCPC)**

  -under the Chairpersonship of the Chairperson, Zila Parishad to monitor the implementation of ICPS.

- **Sponsorship and foster care approval committee (SFCAC)**

  - to review and sanction sponsorship and foster care fund.

- **Block level child protection committee**
- **Village level child protection committee**

ICPS Target Groups

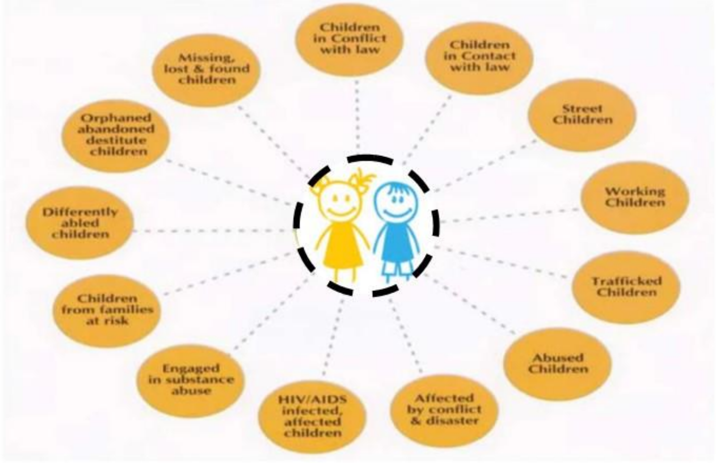

Convergence of Services for Children in ICPS

Convergence of Services for Children in ICPS at District Level

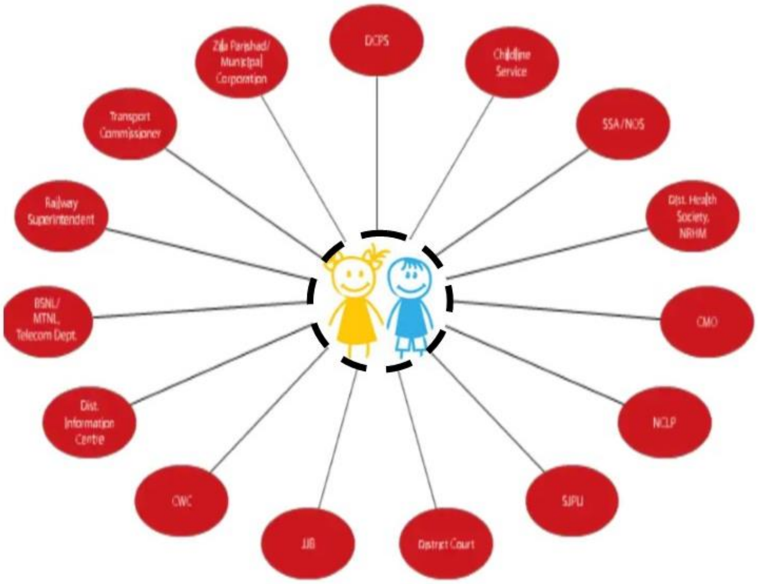

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति

(मार्गदर्शक सिद्धान्त, गठन, उद्देश्य, चयन मानदंड, संरचना, जिम्मेदारियां एवं कार्य)

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति क्या है?

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा और उपेक्षा से संरक्षण की जिम्मेदारी लेने के लिए सामुदायिक स्तर पर एक समूह है।

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति - मार्गदर्शक सिद्धांत

- बच्चे का सर्वोत्तम हित - कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा बच्चे का "सर्वोत्तम हित" ध्यान में रखा जाना चाहिए.
- समानता और गैर-भेदभाव - बच्चों के साथ किसी भी आधार पर (जैसे उनकी पृष्ठभूमि, धर्म, जाति, लिंग, जातीयता, विकलांगता और आर्थिक हैसियत के आधार पर) भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए.
- बच्चों की भागीदारी – बच्चों को बिना किसी शंका के सुना और उनपर विश्वास किया जाना चाहिए तथा जब वे अपनी बात (उन विषयों पर जो उन्हें प्रभावित करते हैं) के बारे में रख रहे हों तो उन्हें रोकना-टोकना नहीं चाहिए.
- गोपनीयता बनाए रखना – बच्चों के मामलों को निपटाते समय गोपनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए.
- सम्मान और गरिमा - बच्चों के साथ सम्मान से पेश आएं और एक व्यक्ति के रूप में उनका सम्मान करें.
- गैर-निर्णयात्मक रवैया – जो स्तिथि है उसके लिए बच्चे को कभी दोष न दें और यह ही सच होगा यह पहले से मान कर न चलें.
- संवाद, चर्चा और सामूहिक विचार-विमर्श - बाल संरक्षण प्रयासों पर वी/डब्ल्यूसीपीसी के साथ सभी एकजुट खड़े रहे इसके लिए संवाद/चर्चा हमेशा जारी रखें.
- समवेदना (**empathy**) - बच्चों के साथ समवेदना बनाए रखें क्योंकि यह सभी रिश्तों के लिए सामाजिक गोंद का काम करता है तथा गांव/वार्ड को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए सेवाओं/प्रयासों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है.

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन

- समिति के उद्देश्य और भूमिका की पहचान करें
- स्पष्ट/ सुव्यक्त लक्ष्य विकसित करना;

- टीम सदस्यता
- कर्तव्यों को निर्वाह के लिए नियम स्थापित करें
- सदस्यों को समुचित जानकारी (ओरिएंटेशन) प्रदान करना ताकि वे अन्य संस्थाओं जैसे पीआरआई, गैर सरकारी संगठनों, स्कूल प्रबंधन समितियों, बाल कल्याण समिति, पुलिस अधिकारियों आदि के साथ संबंध विकसित करने में वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी. का सहयोग करें

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का उद्देश्य

- बाल संरक्षण और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर व्यापक समुदाय में जागरूकता पैदा करना
- कठिन व नाजुक परिस्थितियों में रह रहे बच्चों पर संभावित खतरों और जोखिमों की पहचान करें
- बच्चों के साथ परामर्श करें और उनकी समस्याओं का जहा तक संभव हो स्थानीय समाधान खोजें और यदि आवश्यकता पड़े तो उचित उच्च स्तरीय प्राप करने कि कोशिश करें .
- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करें तथा जहां भी आवश्यक हो, सरकारी संस्थानों/कार्यक्रमों से सहायता प्राप्त करें .

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य के चयन हेतु मानदंड (**criteria)**

- ऐसा व्यक्ति जिसकी समुदाय में विश्वसनीयता और स्वीकृति/सम्मान हो
- व्यक्ति जो स्वयंसेवा कर सकता है और सीपीसी कार्य के लिए समय दे सकता है
- उसी गांव/वार्ड से हो
- बच्चों के अनुकूल हो
- बच्चों के लिए प्यार और चिंता रखता हो
- सीपीसी का हिस्सा बनने की इच्छा रखता हो
- वह व्यक्ति जो बच्चों के मुद्दों के प्रति संवेदना और रुचि रखता हो तथा प्रतिबद्ध हो
- बच्चों के साथ पेशागत् जुड़ाव रखने वाले लोग जैसे शिक्षक, आईसीडीएस कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एसएमसी सदस्य, पंचायत पदाधिकारी , एसएचजी कार्यकर्ता आदि

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति सदस्यता :

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति में 11 सदस्यों की टीम होनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए:

- पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय सदस्य
- महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य

- युवा समूह सदस्य
- सामुदायिक नेता/वरिष्ठ नागरिक
- एमटीए(मदर टीचर्स एसोसिएशन)/पीटीए सदस्य
- शिक्षक
- एनजीओ/सीएसओ प्रतिनिधि
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- आशा कार्यकर्ता
- बच्चे (दो की संख्या में - 1 लड़का और 1 लड़की – उनकी उम्र 15-18 साल के भीतर हो)
- महिलाओं और पुरुषों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व
- विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व भी हो इसकी कोशिश होनी चाहिए
- इसे समावेशी होना चाहिए

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना

- अध्यक्ष
- सचिव
- सदस्य [9 संख्या]

भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ

अध्यक्ष

- बैठकों की अध्यक्षता करना
- टीम का नेतृत्व और मार्गदर्शन करना
- जब भी ज़रूरी हो आवश्यक सक्रिय कार्रवाई करना
- आपात स्थिति में तत्काल बैठक बुलाना
- प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत, संपर्क और समन्वय करना

सचिव

- समय-समय पर बैठकें सुनिश्चित करने के लिए संयोजक के रूप में कार्य करना
- प्रत्येक बैठक की सूचना, चर्चा के विषय (एजेंडा) सहित सभी सदस्यों को अग्रिम रूप से जारी करना।
- प्रत्येक बैठक की उपस्थिति और कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखना
- जब भी आवश्यक हो प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वय करना

ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य

- दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण के संभावित जोखिम वाले बच्चों की पहचान करें
- दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण के शिकार व्यक्तियों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करें
- बाल संरक्षण के मामलों की नियमित रूप से जानकारी एकत्र करें तथा इसकी समीक्षा करें
- सरकारी सेवाओं के साथ जुड़ाव: सुनिश्चित करें कि परिवार सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं
- मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई
- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हिमायत(एडवोकेसी)
- सीडब्ल्यूसी, पुलिस, श्रम, तस्करी विरोधी, चाइल्डलाइन, गैर सरकारी संगठनों, पंचायत आदि जैसे अन्य संस्थानों के साथ समन्वय और जुड़ाव
- समुदाय के प्रत्येक बच्चे को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार और शोषण से बचाना
- समुदाय और माता-पिता के बीच बाल अधिकारों / संरक्षण के मुद्दों पर जागरूकता निर्माण
- बच्चों के सन्दर्भ में जोखिम मानचित्रण (वल्नरेबिलिटी मैपिंग) करना और उसके आधार पर करवाई करना
- जोखिम की स्थिति में रह रहे बच्चों के परिवारों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ना
- बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध संरचनाओं/संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करना,जैसे - जिला बाल संरक्षण यूनिट ,पुलिस स्टेशन, बाल अधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, सी.डब्ल्यू.सी, जे.जे.बी आदि .
- बच्चों और सामुदायिक विकास से जुडे विषयों से सम्बद्ध कानून /कार्यक्रम/नीतियों के संबंध में जानकारी/सूचना का प्रचार – प्रसार करना
- बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों हस्तक्षेप करना – अर्थात घटना कि जानकारी एकत्र करना, तथा बचाव,परामर्श, पुनर्वास, पुनर्एकीकरण की कारवाई करना, तथा हस्तक्षेप से संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना
- कार्यस्थलों, स्कूलों, खेल के मैदानों, बच्चों के घरों और बच्चों से सम्बंधित अन्य बैठक स्थानों का दौरा करना और बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना
- अन्य हितकारकों के साथ कार्य करना और आवश्यकता पड़ने पर उचित हस्तक्षेप करना
- नियमित रूप से बैठक (महीने में कम से कम एक बार अवश्य) करना और आपात स्थिति/ज़रुरत पड़ने कर जब भी आवश्यक हो बैठक करना .
- वी/डब्ल्यू सीपीसी की बैठकों/ कारवाइयों से जुडे रजिस्टरों, रिपोर्टों /जांच रिपोर्टों आदि का रख रखाव करना.
- वी/डब्ल्यू सीपीसी के सदस्यों का क्षमता निर्माण करना.

- बच्चों के साथ बैठकें कर उनकी स्थिति का विश्लेषण करना और आवश्यकता पड़ने पर तदनुसार हस्तक्षेप/कारवाई करना .

वी/डब्ल्यू सीपीसी मीटिंग आयोजित करते समय ध्यान रखने योग्य **कुछ** बातें

- बैठक का एजेंडा (चर्चा का विषय/मुद्दा) हमेशा पहले से तय कर के रखें .
- बैठक तय एजेंडे के अनुसार चलायें और कम से कम समय में समाप्त करें
- बैठक को सकारात्मक और केंद्रित रखें
- केसों को प्राथमिकता के आधार पर लें और निपटाएं तथा पिछले मामलों में क्या प्रगति हुई है इसे ध्यान में रख कर निर्णय लें/कारवाई करें (फॉलो अप करें) .
- प्रत्येक बैठक की उपस्थिति(उपस्थिति रजिस्टर में)और कार्यवाही (कार्यवाही दर्ज करने वाले रजिस्टर में) नियमित रूप से करें .
- सभी सदस्यों को भाग लेने का समान अवसर दें और सभी की राय और विचारों का सम्मान करें.

****

अनुलग्नक: B- पी.एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना

सरकार ने पी.एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए दिशा.निर्देश जारी किए । इस योजना के तहत कोविड.**19** महामारी के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को व्यापक सहायता प्रदान की जाएगी । पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत **18** साल की उम्र से मासिक वृत्ति और **23** वर्ष की आयु होने पर **10** लाख रुपये दिए जाएंगे ।

---Posted On: 07 OCT 2021 1:47PM by PIB Delhi

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 29 मई, 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन बच्चों के लिए व्यापक सहायता की घोषणा की थी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की निरंतर तरीके से व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड महामारी में खो दिया है। साथ ही इसका उद्देश्य उन बच्चों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण में मदद करना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना तथा 23 वर्ष की आयु होने पर वित्तीय सहायता के साथ उन्हें एक आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना अन्य बातों के साथ-साथ इन बच्चों को समेकित दृष्टिकोण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए गैप फंडिंग, 18 वर्ष की आयु से मासिक वृत्ति और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान करने के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

पात्र बच्चों का नामांकन 29.05.2021 से शुरू किया जाएगा और प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप 31.12.2021 तक पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। इस योजना के उस वर्ष तक प्रभाव में रहने की उम्मीद है जब प्रत्येक चिन्हित लाभार्थी 23 वर्ष की आयु का हो जाएगा।

योजना के लिए पात्रता मानदंड में उन सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने i) माता-पिता दोनों या ii) माता-पिता में से एकमात्र बचे किसी एक को या iii) कानूनी अभिभावक/गोद लेने वाले माता-पिता/गोद लेने वाले माता या पिता को खो दिया है। इनमें वे बच्चे योजना का लाभ हासिल करने के पात्र होंगे जिन्होंने 11.03.2020 से 31.12.2021 के बीच महामारी की वजह से अपने माता-पिता को खोया है। 11.03.2020 की तारीख इस वजह से मान्य है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसी दिन से कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया था। iv) माता-पिता की मृत्यु की तारीख को बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।

इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता में ये चीजें शामिल हैं:

1. बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए सहायता:

क) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की सहायता से प्रयास किया जाएगा कि बच्चे का उसके विस्तृत परिवार, रिश्तेदारों आदि के पास पुनर्वास की संभावना का पता लगाया जाएगा।

ख) यदि बच्चे के विस्तृत परिवार, रिश्तेदार, परिजन उपलब्ध नहीं हैं/ उसे रखने के लिए तैयार नहीं हैं/ सीडब्ल्यूसी के हिसाब से उपयुक्त नहीं हैं या बच्चा (4-10 वर्ष या उससे अधिक आयु का) उनके साथ रहने को तैयार नहीं है, तो पूरी तरह से पड़ताल करने के बाद बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और समय-समय पर यथा संशोधित उसके बनाए गए नियमों के तहत फोस्टर केयर (कुछ समय के लिए किसी परिवार द्वारा बच्चे को आधिकारिक रूप से अपने पास रखना) में रखा जाएगा।

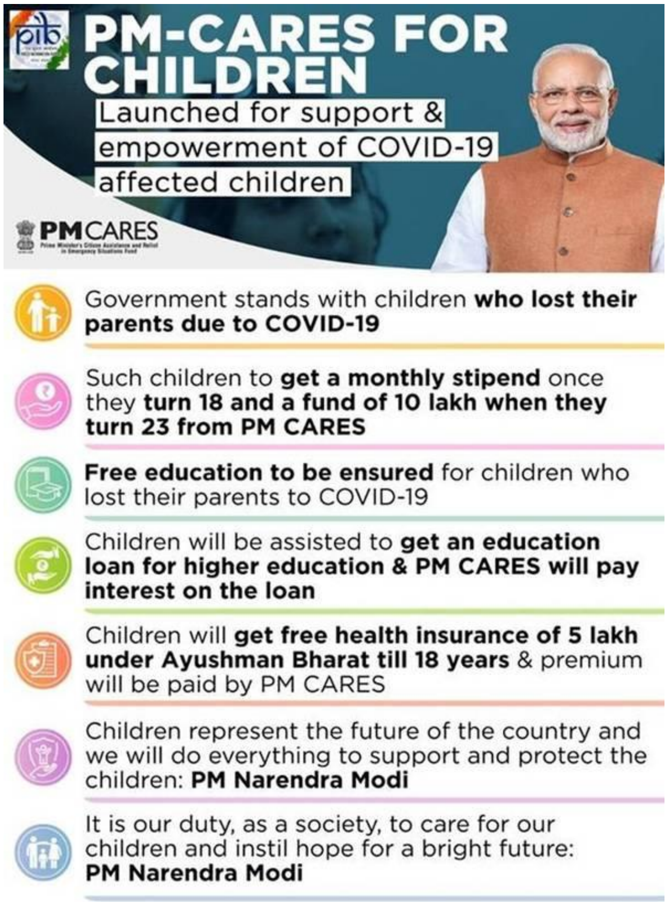

ग) यदि फोस्टर फैमिली उपलब्ध नहीं है/इच्छुक नहीं है/ सीडब्ल्यूसी उसे उपयुक्त नहीं पाता, या बच्चा (4-10 वर्ष या उससे अधिक आयु का) उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो लाभार्थी बच्चा/बच्चे यानी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पात्र लाभार्थी बच्चे को उसकी उम्र एवं लैंगिक आधार पर उपयुक्त बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) में रखा जाएगा।

घ) 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, जो विस्तृत परिवारों या रिश्तेदारों या फोस्टर फैमिली द्वारा अपने पास नहीं रखे जाते या माता-पिता के निधन के बाद उनके साथ रहने के इच्छुक नहीं हैं या बाल देखभाल संस्थानों में रहते हैं, उन्हें जिलाधिकारी (डीएम) नेताजी सुभाष चंद बोस आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, या किसी भी अन्य आवासीय विद्यालय में संबंधित योजना दिशा-निर्देशों के अधीन दाखिला दिला सकते हैं।

ङ.) यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जहां तक संभव हो एक माता-पिता के बच्चे एक ही साथ रहें।

च) गैर-संस्थागत देखभाल के लिए, बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना के तहत निर्धारित प्रचलित दरों पर वित्तीय सहायता बच्चों को (अभिभावक के खाते में) प्रदान की जाएगी। संस्थागत देखभाल में बच्चे के लिए, बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना के तहत निर्धारित प्रचलित दरों पर बाल देखभाल संस्थानों को रख-रखाव के लिए

अनुदान दिया जाएगा। सरकारी योजना के तहत निर्वाह सहायता की कोई भी व्यवस्था बच्चों को अतिरिक्त रूप से प्रदान की जा सकती है।

2. प्री-स्कूल और स्कूली शिक्षा के लिए सहायता

क) छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पहचान किए गए लाभार्थियों को पूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा/ईसीसीई, टीकाकरण, स्वास्थ्य रेफरल और स्वास्थ्य जांच के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं से सहायता दी जाएगी।

ख) **10** साल से कम उम्र के बच्चों के लिए

i) डे स्कॉलर के तौर पर किसी भी नजदीकी स्कूल में यानी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल/केंद्रीय विद्यालय (केवी)/निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।

ii) सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दो मुफ्त यूनिफॉर्म और पाठ्यपुस्तक प्रदान किए जाएंगे।

iii) निजी स्कूलों में, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत शिक्षण शुल्क में छूट दी जाएगी।

iv) ऐसी परिस्थितियों में जहां बच्चा उपरोक्त लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है, आरटीई मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से दी जाएगी। इस योजना के तहत यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च के लिए भी भुगतान किया जाएगा। ऐसी पात्रताओं की एक सूची परिशिष्ट-1 में दी गयी है।

ग) **11-18** वर्ष की आयु के बच्चों के लिए

i) यदि बच्चा विस्तृत परिवार के साथ रह रहा है, तो डीएम द्वारा निकटतम सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल/केन्द्रीय विद्यालयों (केवी)/निजी स्कूलों में डे स्कॉलर के रूप में उसका दाखिला सुनिश्चित किया जा सकता है।

ii) बच्चे का संबंधित योजना दिशा-निर्देशों के अधीन, डीएम द्वारा नेताजी सुभाष चंद बोस आवासीय विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय/एकलव्य मॉडल स्कूल/सैनिक स्कूल/ नवोदय विद्यालय/ या किसी अन्य आवासीय विद्यालय में दाखिला कराया जा सकता है।

iii) डीएम ऐसे बच्चों के लिए छुट्टियों के दौरान सीसीआई या किसी उपयुक्त स्थान पर रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।

iv) ऐसी परिस्थितियों में जहां बच्चा उपरोक्त लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है, आरटीई मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से दी जाएगी। इस योजना के तहत यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर खर्च के लिए भी भुगतान किया जाएगा। ऐसी पात्रताओं की एक सूची विस्तृत परिशिष्ट में दी गयी है।

घ. उच्च शिक्षा के लिए सहायता:

i) भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में बच्चे की सहायता की जाएगी।

ii) उन परिस्थितियों में जहां लाभार्थी मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की योजना से ब्याज संबंधी छूट का लाभ उठाने में असमर्थ है, शैक्षिक ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से किया जाएगा।

iii) एक विकल्प के रूप में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को मानदंडों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसी पात्रताओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

iii. स्वास्थ्य बीमा:

क. सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।

ख. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत चिन्हित बच्चे को पीएम-जेएवाई के तहत लाभ मिले

ग. योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले लाभों का विवरण परिशिष्ट में है।

iv. वित्तीय सहायता:

क. लाभार्थियों का खाता खोलने और सत्यापन करने पर एकमुश्त राशि सीधे लाभार्थियों के डाकघर खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रत्येक पहचाने गए लाभार्थी के खाते में एक यथानुपात राशि अग्रिम रूप से जमा की जाएगी, ताकि प्रत्येक लाभार्थी के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय कुल कोष 10 लाख रुपये हो जाए।

ख. बच्चों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, 10 लाख रुपये के कोष का निवेश करके मासिक वृत्ति मिलेगी। लाभार्थी को 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वृत्ति मिलेगी।

ग. उन्हें 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश देखने के लिए यहां पर क्लिक करें

***

लहर..........

शीला को बाल पकड़कर खीचा गया था क्योंकि उससे रात का खाना टेबल पर देने में थोड़ी देर हो गेई थीण्ण् । नन्हीं लक्ष्मी अपने दादा द्वारा अपमानित व प्रताड़ित किए जाने के बाद हर रात रोते -बिलखते हुए सोने को जाती है। राजू के हाथों क्रोध वश, गलती से अपने शराबी व क्रूर पिता की हत्या हो गई ।

असुरक्षित व जोखिम पूर्ण स्तिथि में फंसे बच्चों के लिए भारत की राष्ट्रीय आपातकालीन सहायता सेवा को विकसित करने में डेढ़ दशक से अधिक जुडे रहने के दौरान ए लहर के संस्थापकों ने कई वर्षों तक ऐसी दिल दहला देने वाली ढेरों घटनाएं सुनीं।

बाल संरक्षण के प्रति निवारक दृष्टिकोण के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के मद्देनज़र ए आज उन्हें यकीन हैं कि अब समय आ गया है कि हस्तक्षेप अर्थात घटना बाद होने वाली कारवाई के बजाय रोकथाम अर्थात घटना को होने से रोकने वाली कारवाई पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाय । अब ऐसे उपाय तलाशने का समय आ गया है जो इस तरह के दुर्व्यवहार ,अत्याचार और कानून के उल्लंघन पर तत्काल रोक लगाये।

इसी उद्देश्य से उन्होंने जनवरी 2013 में लहर की शुरुआत की।

लहर टीम शैक्षणिक, संचार व्यवसाय और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों का एक ऐसा विविधतापूर्ण समूह हैए जिन्हें विकास के मुद्दों और बाल अधिकारों से जुड़े विषयों पर कार्य करने का डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव है ।

सभी बच्चों को एक सुरक्षित और न्यायसंगत दुनिया हासिल हो, बस इक यही साझा जुनून इन सभी लोगों को साथ लाया है। सभी इस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, सभी नए प्रयोगों के प्रवर्तक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सभी बाल अधिकारों के रक्षक हैं ।

---

unicef for every child

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

Leher